छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014–15

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2014–15

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

प्रस्तावना

विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 का प्रशासकीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागाध्यक्ष कार्यालयों / निगम / आयोग की गतिविधियों एवं उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी संकलित की गई है ।

(डी.एस. मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त, योजना, आर्थिक सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

1. विभाग का नाम : वित्त तथा योजना विभाग

2. प्रभारी मंत्री का नाम : डॉ. रमन सिंह

मंत्रालय में पदस्थ अधिकारीगण

अपर मुख्य सचिव	:	श्री डी.एस. मिश्र
सचिव	:	श्री अमित अग्रवाल
विशेष सचिव	:	श्रीमती शहला निगार
संयुक्त सचिव	:	1. श्री सी. जे. खत्री
	:	2. श्री एस.के. चक्रवर्ती
	:	3. श्री नारायण (18.06.2014 तक)
	:	4. श्री आकाश सोलंकी (05.09.2014 से)
उप सचिव	:	1. डॉ. ए.के. सिंह
अवर सचिव	:	1. श्री चन्द्रशेखर ओंकार
	:	2. श्री राजभान सिंह
	:	3. श्री एस.एन. नामदेव
शोध अधिकारी	:	1. श्री प्रशांत लाल
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	1. श्री ऋषभ पाराशर
	:	2. श्री आलोक कुमार राय
	:	3. श्रीमती करूणा पाण्डेय (09.10.2014 तक)
	:	4. श्री आनंद मिश्रा
	:	5. श्रीमती ज्योति ठाकुर सोरी (01.10.2014 से)

<u>विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ अधिकारीगण</u>

1. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन	:	श्री शंकर राव ब्राम्हणे
2. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	:	श्री शंकर राव ब्राम्हणे
3. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा	:	1.श्रीमती शहला निगार (10.08.2014 से) 2.श्री अमृतखलखो(11.08.2014 से30.09.2014 तक) 3.श्रीमती शहला निगार (30.09.2014 से)
4. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी	:	श्री अमिताभ पाण्डा
5. आयुक्त, 20 सूत्रीय कार्यक्रम	:	श्री अमिताभ पाण्डा
6. संचालक, संस्थागत वित्त	:	1. श्री नारायण (18.06.2014 तक)
	:	2. श्री आकाश सोलंकी (09.06.2014 से)
7. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	:	श्रीमती शहला निगार
8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	:	श्री आलोक कटियार

<u>मण्डल/आयोग में पदस्थ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष</u>

1. छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग	:	1. अध्यक्ष - माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष- श्री शिवराज सिंह
2. छत्तीसगढ़ इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	:	अध्यक्ष - माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विषय–सूची

क्र.	विभाग	संचालनालय/आयोग/मण्डल	पृष्ठ संख्या
1.	वित्त विभाग	1. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन	पेज 01 से 09 तक
		2. संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा	पेज 10 से 42 तक
		3. संचालनालय, संस्थागत वित्त	पेज 43 से 47 तक
		4. संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लाटरीज	पेज 48
		5. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	पेज 49 से 50 तक
		6. छत्तीसगढ़ इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	पेज 51
2.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	1. छ.ग.राज्य योजना मण्डल	पेज 52 से 62 तक
		2. संचालनालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी	पेज 63 से 72 तक
		3. 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	पेज 73 से 75 तक

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग–एक

सामान्य जानकारी–

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिनांक 01.11.2000 को राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई। विभाग की मुख्य गतिविधियों में राजकोष प्रशासकीय नियंत्रण, पेंशन तथा वेतन निर्धारण, लेखा प्रशिक्षण, कोष निरीक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षण, राज्य वित्त सेवा, अधीनस्थ लेखा सेवा तथा अन्य राज्य स्तरीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक का कार्य तथा अंशदायी पेंशन योजना हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में किये जाने वाले सभी कार्य शामिल है । ।

1.2 अधीनस्थ कार्यालय:–

संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीनस्थ आडिट प्रकोष्ठ, 05 संभागीय कार्यालय, 28 कोषालय, 40 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शालायें है ।

1.3 स्वीकृत सेटअप :–

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, आडिट प्रकोष्ठ एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिये वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप निम्नानुसार है:–

क्र.	पदनाम	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन	श्रेणी	स्वीकृत पद
01	आयुक्त/संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का वेतनमान		प्रथम श्रेणी	01
02	अपर संचालक	37400–67000	8700	प्रथम श्रेणी	02
03	संयुक्त संचालक	15600–39100	7600	प्रथम श्रेणी	07
04	उप संचालक	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	11
05	सिस्टम एनालिस्ट	15600–39100	6600	प्रथम श्रेणी	01
06	सहायक संचालक/कोषालय अधिकारी/ अति.कोषालय अधिकारी/ प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	48
07	प्रोग्रामर	15600–39100	5400	द्वितीय श्रेणी	05
08	सहायक प्रोग्रामर	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	31
09	सहायक कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी/सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	126
10	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	9300–34800	4400	तृतीय श्रेणी	01
11.	शीघ्रलेखक ग्रेड–2	9300–34800	4300	तृतीय श्रेणी	02
12.	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	5200–20200	2800	तृतीय श्रेणी	07
13	सहायक ग्रेड–1	5200–20200	2800	तृतीय श्रेणी	95
14.	सहायक ग्रेड–2	5200–20200	2400	तृतीय श्रेणी	232
15.	सहायक ग्रेड–3	5200–20200	1900	तृतीय श्रेणी	296
16.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200	2400	तृतीय श्रेणी	39
17.	वाहन चालक	5200–20200	1900	तृतीय श्रेणी	11
18.	दफ्तरी	4750–7440	1400	चतुर्थ श्रेणी	33
19.	भृत्य	4750–7440	1300	चतुर्थ श्रेणी	157

20.	चौकीदार	कलेक्टर दर			07
21.	वाटरमैन	कलेक्टर दर			33
22.	स्वीपर/फर्राश	कलेक्टर दर			41
योग					**1186**

आडिट प्रकोष्ठ

क्र.	**पदनाम**	**वेतन बैंड**	**ग्रेड वेतन**	**श्रेणी**	**स्वीकृत पद**
1	अपर संचालक	37400-67000	8700	प्रथम श्रेणी	01
2	संयुक्त संचालक	15600-39100	7600	प्रथम श्रेणी	04
3	सहायक संचालक	15600-39100	5400	द्वितीय श्रेणी	08
4	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	9300-34800	4300	तृतीय श्रेणी	16
5	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	5200-20200	2800	तृतीय श्रेणी	02
6	सहायक ग्रेड-2	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	04
7	सहायक ग्रेड-3	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	08
8	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	तृतीय श्रेणी	08
9	वाहन चालक	5200-20200	1900	तृतीय श्रेणी	04
10	भृत्य	4750-7440	1300	चतुर्थ श्रेणी	05
	योग				**60**

1.4 मुख्य कर्त्तव्यः-

1.4.1 कोष प्रचालन :- राज्य के 05 संभागीय संयुक्त संचालकों, 27 जिला कोषालयों एवं 01 इन्द्रावती कोषालय नया रायपुर तथा 40 उपकोषालयों का प्रशासकीय नियंत्रण संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है । नवीन कोषालयों की स्थापना तथा छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार कोषालयों के संचालन का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.2 कोष निरीक्षण :- राज्य के सभी कोषालय तथा उपकोषालयों का छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निरीक्षण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.3 पेंशन व वेतन निर्धारण :- राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण की जांच तथा पेंशन प्रकरणों के निराकरण का दायित्व संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन का है ।

1.4.4 संवर्ग प्रबंधन :- राज्य वित्त सेवा तथा अधीनस्थ लेखा सेवा का संवर्ग प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है । प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, कोषालयीन लिपिकीय सेवा वर्ग-1 एवं अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की सेवायें राज्य स्तरीय सेवायें है जिनका संवर्ग प्रबंधन भी विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

1.4.5 लेखा प्रशिक्षण :-राज्य के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को लेखाओं से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु 02 लेखा प्रशिक्षण शाला राज्य में स्थापित है । राज्य के समस्त तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के लेखा प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वहन भी संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन द्वारा किया जाता है ।

1.4.6 अंशदायी पेंशन योजना :-

(a) पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत छ.ग. शासन द्वारा नियमित स्थापना एवं आकस्मिकता/कार्यभारित स्थापना में नियुक्त समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए दिनांक 01.11.2004 से नई पारिभाषित ''अंशदान आधारित पेंशन योजना'' (NPS) लागू की है । योजना मार्च 2006 के वेतन से क्रियान्वयित की गई। 31 दिसंबर 2014 की स्थिति में योजना में कुल 1,15,227 शासकीय सेवक सम्मिलित है ।

(b) राज्य शासन के अधीन स्वशासी संस्थाओं/निकायों/विश्वविद्यालयों/निगमों/मण्डलों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगरीय निकायों में पदस्थ कर्मचारियों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक 1230/एफ-1-41/2009/ वित्त/स्था./चार/2012 रायपुर दिनांक 01 अगस्त 2012 (वित्त निर्देश 56/2012) जारी किया है । तदानुसार योजना क्रियान्वयन की कार्यवाही संबंधित स्वशासी संस्थाओं द्वारा की जावेगी ।

(c) पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण के विनियमय का कार्य संपादन करने तक इस योजना के निधि का संधारण राज्य की लोक लेखा में किया गया तथा इसके लेखांकन एवं अभिलेख संधारण का कार्य संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा निष्पादित किया गया। तदानुसार 01.11.2004 से 30 जून तक 2009 तक राशि का संधारण लोक लेखा में किया गया तथा योजना में सम्मिलित शासकीय सेवकों को परमानेंट पेंशन एकाउण्ट नंबर PPAN संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ 31.03.2009 तक आबंटित किया गया। 01 अप्रैल 2009 से सी.आर.ए. द्वारा परमानेंट रिटायरमेंट एकाउण्ट नंबर PRAN आबंटित किया जा रहा है । 30 जून 2009 तक कर्मचारी अंशदान तथा उसके समतुल्य शासन अंशदान पर सामान्य भविष्य निधि में देय ब्याज की दर पर योजनांतर्गत अभिदाताओं को ब्याज दिया गया है ।

पी.एफ.आर.डी.ए. के दिशानिर्देशों के तहत केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के साथ राज्य शासन की ओर से दिनांक 19.09.2008 को एवं एन.पी.एस. ट्रस्ट से दिनांक 20.02.2009 को राज्य शासन की ओर से संचालक कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा अनुबंध निष्पादित किया गया । अनुबंध निष्पादन उपरांत लोक लेखा में जमा कर्मचारी अंशदान, शासन अंशदान एवं ब्याज की राशि अगस्त 2009 में केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी को अभिदाताओं का अभिलेख स्थानांतरित करते हुए 31.03.2009 की स्थिति में रू. 87,90,15,804/- तथा सितम्बर 2009 में 01.04.2009 से 30.06.2009 की स्थिति में रू. 18,20,06,909/- ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित किया गया। जुलाई 2009 से प्रति माह नियमित रूप से राशि ट्रस्टी बैंक को स्थानांतरित की जा रही है ।

भारत शासन की उक्त योजना में पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा एन.पी.एस. ट्रस्ट की स्थापना करते हुए स्टाफ होल्डिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को कस्टोडियन नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी के रूप में एन.एस. डी.एल. को, पेंशन फण्ड मैनेजर के रूप में, एस.बी.आई, पेंशन फण्ड लिमिटेड, यू.टी. आई. रिटायरमेंट सल्यूशन, एल.आई.सी. पेंशन फण्ड लिमिटेड एवं ट्रस्टी बैंक के रूप में एक्सिस बैंक को नियोजित किया गया है । वर्तमान में योजना की राशि का विनिमय फण्ड मैनेजरों के बीच क्रमश: 33 प्रतिशत, 34 प्रतिशत, 33 प्रतिशत के अनुपात में किया जा रहा ।

(d) अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत अभिदाताओं का अभिलेख केन्द्रीय अभिलेख संधारण एजेंसी (सी.आर.ए.) नेशनल सिक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) द्वारा संधारित किया जा रहा है । अभिलेख संधारण हेतु सेवा शुक्ल के रूप में पी.आर.ए.एन. आबंटन पर प्रति पी.आर.ए.एन रू. 50/- प्रति पी.आर.ए.एन. प्रति ट्रान्जेक्शन रू. 4/- एवं प्रति खाता रखरखाव रू. 190/- वार्षिक सी.आर.ए. को भुगतान किया जा रहा है ।

(e) अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा शासकीय सेवकों के अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्ति के प्रकरण में अधिकतम 60 प्रतिशत, आकस्मिक मृत्यु के प्रकरण में 100 प्रतिशत एवं अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पूर्व सेवा से पृथक के प्रकरण में अधिकतम 20 प्रतिशत राशि एकमुस्त भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है । शेष राशि Life Annuity पी.एफ.आर.डी.ए. द्वारा नियुक्त Annuity Service provider से निवेश करेगा ।

वर्तमान में उपरोक्त प्रकरणों में भुगतान हेतु शासनादेश प्रतीक्षित है । केवल मृत्यु के प्रकरण में परिवार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ।

1.4.7 ऑडिट प्रकोष्ठ :- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अधीन एक पृथक आंतरिक लेखा परीक्षण (ऑडिट प्रकोष्ठ) का गठन किया गया है ।

1.5 उपलब्धियाँ :-

1.5.1 पेंशन तथा वेतन निर्धारण :- वर्ष 2014-15 में दिसम्बर 2014 तक पेंशन प्रकरणों 3555.00 पुनरीक्षित पेंशन प्रकरणों 1350 वेतन निर्धारण प्रकरणों 7334 का निराकरण किया गया है) पेंशन से संबंधित जानकारी एवं सुविधा प्रदाय करने हेतु cg.nic.in.pension website माह जुलाई 2007 से स्थापित किया गया है । छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निर्देश क्र. 24 /2007 के द्वारा 01.01.1996 के पूर्व के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के पेंशन/परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के निर्देश प्रसारित किये गये इसके तारतम्य में पेंशन पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, साथ ही प्राधिकृत नये पेंशन प्रकरणों में नियमित भुगतान प्रारंभ होने के स्थिति की समीक्षा प्रत्येक माह किया गया है ।

पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय पर हो इसके लिये आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वेतन निर्धारण की जांच अनिवार्य तौर पर कि गई है ताकि पेंशन प्ररकणों का निराकरण समय पर हो एवं अधिक भुगतान की स्थिति निर्मित होने पर उसकी वसूली भी सुनिश्चित किया जा सके।

1.5.2 अंशदायी पेंशन योजना :- वर्ष 2014-15 में नवनियुक्त शासकीय सेवकों को मई 2014 से PRAN No. जिला कोषालयों के माध्यम से Online आबंटित किया जा रहा है ।

योजना लागू होने दिनांक से दिसम्बर 2014 तक कुल 1,15,227 अभिदाता अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत है । नवम्बर 2014 तक कर्मचारी अंशदान एवं राज्य शासन के अंशदान के रूप में राशि रू. 1354.93 करोड़ एन.पी.एस. ट्रस्ट को स्थानांतरित की गई है ।

1.5.3 पेंशनर कल्याण कोष :- वर्ष 2014-15 में कल्याण कोष में उपलब्ध राशि रू. 1,11,10,000 में से दिसम्बर 2014 तक 411 पेंशनरों को वित्तीय सहायता के रूप में 44,28,962/- स्वीकृत किये गये है ।

1.5.4 कोषालय स्तर पर कम्प्यूटरीकरण :- राज्य शासन के वित्तीय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने एवं आय-व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्त कोषालयों एवं उपकोषालयों को दिनांक 01.04.2005 से कम्प्यूटरीकृत किया गया है ।जिसमें सभी कोषालयों एवं उपकोषालयों को संचालनालय के मध्य लीज-लाईन एवं व्ही.पी.एन/ब्रॉडबैण्ड के माध्यम से ऑनलाईन नेट-वर्किंग स्थापित की गई है । इस प्रणाली के अंतर्गतराज्य के आय-व्यय की अद्यतन स्थिति ज्ञात करने में

सुविधा होती है । छ.ग. राज्य के कोषालयों में ''ई-कोष'' लागू कर संपूर्ण कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण का सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा विकसित किया गया है । कोषालयों में डाटा प्रविष्टि के साथ अन्य कार्य जैसे की डिपॉजिट, ई-कर्मचारी, ई-पेरोल, ई-पेमेंट, पंजी का कैशबुक संधारण, पेंशनर का पी.पी.ओ. जारी करना एवं सूची तैयार करना तथा बजट कन्ट्रोल इत्यादि कार्यो का निर्वहन किया जा रहा है । वर्तमान में ई-बिल पर कार्यवाही प्रक्रिया में है जिसमें ऑन लाईन ई-बिल तैयार किया जाकर ऑन लाईन ट्रेजरी में प्रस्तुत किया जावेगा इसके लिये डिजिटल साईन का प्रयोग किया जावेगा। डिजिटल साईन एनआईसी द्वारा जारी किया जाता है, अब तक 1450 आहरण संवितरण अधिकारियों को डिजीटल साईन जारी किया जा चुका है तथा शेष 2250 आहरण संवितरण अधिकारियों को डिजिटल साईन प्रदाय करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है ।

1.5.5 ई-चालान की सुविधा :- राज्य शासन द्वारा 10/2006 से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में ई-चालान की सुविधा प्रारंभ की गई है एवं दिनांक 10.03.2008 से सभी विभागों के लिये भी लागू किया गया है । इस प्रक्रिया से इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाला व्यक्ति घर पर ही चालान जमा कर सकता है । लेखांकन हेतु सिटी कोषालय रायपुर को अधिकृत किया गया है । चालान जमा करने के उपरांत जमाकर्ता को इलेक्ट्रिानिक चालान प्राप्त हो जाता है । यह सुविधा 10 बैंकों द्वारा दिया जा रहा है । जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, एच.डी.एफ.सी. बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, युको बैंक, के माध्यम से प्रदाय की जा रही है ।

1.5.6 ई-पेमेंट :- भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर 2010 से ई-पेमेंट के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया। इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाईल पर संदेश (Message) की सुविधा बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है । माह जुलाई 2012 से सभी शासकीय विभागों द्वारा प्रदायकर्ताओं (Contractor/Vendors/Suppliors) को रू. 10,000.00 से अधिक का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है । शासकीय सेवकों के सभी स्वत्वों का भुगतान भी ई-पेमेंट के माध्यम से किया जा रहा है । अन्य समस्त प्रकार के देयकों का भुगतान ई-बिल के माध्यम से ई-पेमेंट किया जा रहा है ।

1.5.7 साख पत्रों का कम्प्यूटरीकरण :-वित्तीय वर्ष 2014-15 में साख-पत्र व्यवस्था समाप्त करते हुए ई-कोष के माध्यम से ऑनलाईन बजट आबंटन/व्यय आदि का लेखा संधारण किया जा रहा है ।

1.5.8 विभागीय निरीक्षण तथा आंतरिक लेखा परीक्षण :- संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन छ.ग. रायपुर द्वारा कोष संहिता भाग (1) के सहायक नियम 38 एवं 39 के अनुसार राज्य में स्थित जिला कोषालयों का तीन वर्ष में एक बार, संभागीय कोषालय का वर्ष में एक बार तथा उपकोषालयों का 06 वर्ष में एक बार विभागीय निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है, उसके अनुसार संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष निरीक्षण रोस्टर तैयार कर अधीनस्थ कोषालयों/उपकोषालयों का विभागीय निरीक्षण कार्य संपादित किया जाता है ।

वर्ष 2014-15 के रोस्टर अनुसार 04 संभागीय संयुक्त संचालक, 15 जिला कोषालय, 07 उपकोषालय तथा 02 लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण किया जाना है । 10 फरवरी 2015 की स्थिति में 04 संभागीय संयुक्त संचालक, 14 जिला कोषालय, 06 उपकोषालय तथा 02

लेखा प्रशिक्षण शाला का विभागीय निरीक्षण किया जाकर पालन प्रतिवेदन के लिये संबंधित कार्यालय को पत्र जारी किया जा चुका है ।

1.5.9 लेखा प्रशिक्षण शाला :- वर्ष 2014-15 में लेखा प्रशिक्षण शाला द्वारा दिसम्बर 2014 तक कुल 217 शासकीय सेवकों को प्रशिक्षित किया गया।

1.5.10 ऑडिट प्रकोष्ठ :- वर्ष 2014-15 में निर्धारित रोस्टर अनुसार 09 विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं 09 जिला कार्यालय का आडिट किया जाना निर्धारित किया गया । 16 विभागों का आडिट पूर्ण किया गया । शेष 02 विभागों का आडिट 31.03.2015 के पूर्व कर लिया जायेगा।

स.क्र.	माह	विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम	जिला कार्यालय का नाम
01	जून 2014	संचालक, कृषि छ.ग.रायपुर	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायपुर
02	जूलाई 2014	संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें छ.ग. रायपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य रायपुर
03	अगस्त 2014	आयुक्त, आदिवासी विकास छ.ग.रायपुर	उप संचालक, कृषि रायपुर
04	सितम्बर 2014	संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण छ.ग.रायपुर	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें रायपुर
05	अक्टूबर 2014	आयुक्त, परिवहन विभाग छ.ग.रायपुर	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग रायपुर
06	नवम्बर 2014	संचालक, रेशम विभाग छ.ग. रायपुर	कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग रायपुर
07	दिसम्बर 2014	प्रमुख, अभियंता लोक निर्माण विभाग छ.ग. रायपुर	क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी रायपुर
08	जनवरी 2015	संचालक, उद्यान एवं वानिकी छ.ग. रायपुर	उप संचालक, रेशम रायपुर
09	फरवरी 2015	प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग छ.ग.रायपुर	उप संचालक, उद्यान रायपुर

विश्व बैंक की सहायता से गठित एवं पी.डबलू.सी. सदस्यों एवं वित्त विभाग द्वारा गठित कोर टीम के सहयोग से ड्राप्ट इंटरनल आडिट मेन्यूअल के प्रथम प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है । अंतिम राय देने हेतु विश्व बैंक एवं दो आडिट दल कोर समिति के सदस्यों के पर्यवेक्षण में संयुक्त रूप से सबसे अधिक व्यय करने वाले विभाग- आदिम जाति जनजाति विभाग तथा अनुसूचित जाति विकास नया रायपुर, अधीक्षक, अनुसूचित जाति कन्या आश्रम कालीबाड़ी रायपुर, अधीक्षक,पोस्ट मैट्रिक, अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पेंशन बाड़ा रायपुर, परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना जिला गरियाबंद, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला गरियाबंद एवं प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला गरियाबंद जिनमें से उपरोक्त कार्यालयों में से सभी कार्यालयों का अंकेक्षण करते हुए इंटरनल आडिट मेन्यूअल को अंतिम रूप देने की स्थिति में है ।

छ.ग.शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के निर्देशानुसार विशेष अंकेक्षण निम्नानुसार 16 कार्यालयों का विशेष अंकेक्षण पूर्ण किया गया है एवं शासन को अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया जा चुका है । विशेष अंकेक्षण किए गए कार्यालयों का नाम निम्नानुसार है :-

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बलौदाबाजार, 2. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बलरामपु, 3. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सूरजपुर, 4. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कटघोरा, 5. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल जशपुर, 6. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायपुर, 7. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल अम्बिकापुर, 8. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कोरबा, 9. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल रायपुर, 10. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल कांकेर, 11. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल जगदलपुर, 12. निर्वाचन कार्यालय रायपुर, 13. निर्वाचन कार्यालय कोण्डागांव, 14. निर्वाचन कार्यालय कांकेर, 15. उप संचालक कृषि कांकेर, 16. अनुविभागीय कृषि अधिकारी बालोद इस प्रकार कुल 16 कार्यालयों का विशेष अंकेक्षण किया गया है ।

भाग-दो

बजट एक दृष्टि में-

बजट प्रावधान एवं व्यय योजनावार

(राशि रूपये में)

मांग संख्या- मुख्य शीर्ष-2049-ब्याज संदाय

क्र	योजना	योजना का नाम	वर्ष 2014-15 हेतु प्रावधान	व्यय दिसम्बर 2014 की स्थिति तक
1	4192	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	165000000	146116933
2	4198	शास. कर्मचारी समूह बीमा योजना (बचत निधि पर ब्याज)	530000000	432459454
3	4209	शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	75000000	51611277
4	6802	पारिभाषित अंशदायी पेंशन योजना पर ब्याज	100000	0
	योग-2049		**770100000**	**630187664**
मांग संख्या-06-2071-पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ				
5	3843	लेखा प्रशिक्षण शाला	5324000	2918651
6	5697	कोषालय कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्र	180000	0
7	2274	निदेशन और प्रशासन	124005000	76631235
8	4307	संभागीय स्थापना	55190000	27920000
9	1026	खजाना स्थापना	260975000	149180474
10	8904	ऑडिट सेल	21170000	1403645
	योग-2054		**466844000**	**258054005**
मांग संख्या-06-2071-पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ				
11	6801	राज्य शासन का अंशदान	2000000000	1453844719

मांग संख्या–06–2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण				
12	7000	पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	2000000	0
मांग संख्या 06–4070– अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी व्यय				
13	4843	अधोसंरचना विकास निगम	53000000	0
मांग संख्या 48–2054–राजकोष और लेखा प्रशासन				
14	7416	तेरहवां वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	18500000	963642
कुल योग			**3310444000**	**2343050030**

भाग–तीन

संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित समस्त योजना एवं स्थापना व्यय आयोजनेत्तर मद में स्वीकृत है । राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में न ही कोई स्थापना व्यय है और न ही कोई योजना संचालित है, अतः इसकी जानकारी निरंक है ।

भाग–चार

सामान्य प्रशासनिक विषय–निरंक

भाग–पांच

अभिनव योजना

भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के सहयोग से संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत आने वाले अधिकारी/ कर्मचारी का वेतन भुगतान दिनांक 01 नवम्बर, 2010 से ई- पेमेंट के माध्यम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया । इस सुविधा का विस्तार दिनांक 01.01.2011 से समस्त विभागों के लिए किया गया है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत वेतन जमा होने की सूचना शासकीय सेवकों को मोबाइल पर संदेश के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है । 01 जुलाई 2012 से इस माध्यम से वेंडर खाते में सीधे राशि अंतरित की जा रही है । आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के चालू खाते में भी ई-पेमेंट के माध्यम से राशि का अंतरण किया जा रहा है ।

भाग–छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन–निरंक

भाग–सात

अन्य विवरण

7.1 जीवन बीमा योजना –

दिनांक 01.11.1974 से शासकीय परिवार कल्याण निधि योजना अनिवार्य रूप से प्रभावशील की गई है तत्पश्चात् म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01.07.1985 से समूह बीमा योजना प्रभावशील करते हुए यह प्रावधान रखा गया है कि शासकीय सेवक परिवार कल्याण योजना 1974 के सदस्य अपना नकारात्मक विकल्प प्रस्तुत कर पूर्व अनुसार परिवार कल्याण निधि योजना के सदस्य बने रहकर योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अंशदान जमा कराते रहें हैं। किन्तु ऐसा विकल्प प्रस्तुत न करने पर वे स्वमेव समूह बीमा योजना, 1985 के अनिवार्य सदस्य होगें तथा अनिवार्य रूप से उनके वेतन समूह बीमा योजना, 1985 के अंतर्गत कटौती किया जावेगा ।

यह योजना संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है तथा योजनाओं से संबंधित बिन्दुओं पर प्रशासित करना, योजनाओं के अभिलेखों का निरीक्षण करना, योजना के अंतर्गत भुगतान राशि का परीक्षण करना, योजना से संबंधित आय-व्यय के आंकड़े संबंधी संचित

अवशेष राशियों पर ब्याज संगणित करना एवं शासन को प्रतिवेदन का कार्य सौंपा गया है । इस विभाग द्वारा कई कार्यालय प्रमुखों द्वारा जारी किये गये परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना के अधीन स्वीकृति आदेश तथा पात्रता राशि का परीक्षण किया गया और त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों को सुधार हेतु लेख किया गया साथ ही चाहे जाने पर उन्हें मार्गदर्शन भी दिया गया । परिवार कल्याण निधि तथा समूह बीमा योजना में प्रतिवर्ष जमा राशि पर देय ब्याज राशियों का अंतरण प्रविष्टि के माध्यम से समायोजन किया जाता है । उक्त योजना के अधीन सिर्फ मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर ही बीमा राशि देय होती है ।

-----000-----

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग – 1

1. सामान्य जानकारी –

छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य में स्थित निगमित एवं अनिगमित स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थाओं आदि के लेखाओं का अंकेक्षण किया जाता है । स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला जाता है । प्रतिवेदन में स्थानीय निकाय के आर्थिक स्थिति तथा लेखाओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण सम्मिलित करते हुए, दृष्टिगत वित्तीय अनियमितताओं एवं महत्वपूर्ण आपत्तियों का समावेश किया जाता है ।

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 (31 दिसबंर 2014 तक) की अवधि में, जिन स्थानीय निकायों के लेखाओं की पश्चात्वर्ती संपरीक्षा संपादित की गई है, उनकी आर्थिक स्थिति एवं लेखाओं के विशिष्टताओं का सारांशीकृत विवरण दिया गया है । अनियमितताओं के संबंध में समय–समय पर विशेषत: निकायों की संपरीक्षा के समय ही, निकाय के प्रधान अधिकारियों के साथ विचार विमर्श पश्चात् विगत तथा वर्तमान संपरीक्षा प्रतिवेदनों में उत्थापित आपत्तियों के निराकरण तथा लेखा प्रणाली में आवश्यक सुधार लाने हेतु विशेष प्रयास किये जाते है ।

2. स्थानीय निधि संपरीक्षा का प्रशासकीय ढांचा –

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा (रायगढ़) एवं कोरिया (अम्बिकापुर) में स्थापित है । संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये वाहन चालक के 04 पद संविदा सहित कुल 356 पदों का सृजन किया गया है । जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र	कार्यालय	कुल पद संख्या
1	संचालनालय, रायपुर	43
2	क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	75
3	क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	55
4	क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर	42
5	क्षेत्रीय कार्यालय, राजनांदगांव	67
6	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा'	38
7	क्षेत्रीय कार्यालय, कोरिया'	36
कुल पद संख्या		356

('छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक 932/729/2014/स्था/चार नया रायपुर दिनांक 19.06.2014 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा को रायगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय कोरिया को अम्बिकापुर में स्थानांतरित करने की सहमति दी गई है ।)

संचालनालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में दिनांक 31.12.2014 की स्थिति में कार्यरत स्टॉफ की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	टीप
1	संचालक	01	01	0	..
2	अतिरिक्त संचालक	01	0	01	..
3	संयुक्त संचालक	02	02	0	..
4	उप संचालक	07	03	04	..
5	सहायक संचालक	24	15	09	..
6	ज्येष्ठ संपरीक्षक	78	67	11	..
7	असिस्टेंट प्रोग्रामर	01	0	01	..
8	अधीक्षक	01	01	0	..
9	मुख्य लिपिक	02	02	0	..
10	सहायक अधीक्षक	01	01	0	..
11	सहायक ग्रेड 1	01	01	0	01 पद प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
12	स्टेनोग्राफर	01	0	01	..
13	सहायक संपरीक्षक	155	99	56	..
14	लेखापाल	01	01	0	..
15	सहायक ग्रेड 2	13	13	0	..
16	डाटा एंट्री ऑपरेटर	07	01	06	..
17	सहायक ग्रेड 3	21	17	04	08 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
18	स्टेनो टायपिस्ट	05	0	05	..
19	वाहन चालक	01+04	05	0	04 पद पर संविदा से कार्यरत है । 01 पद पर कले. दर से कार्यरत है ।
20	भृत्य	22	14	08	07 पदों पर सी.आई.डी.सी. से कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।
21	चौकीदार (अस्थाई)	07	07	0	..
योग		356	250	106	

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के तहत कुल 12486 निकायों के लेखाओं की संपरीक्षा की जाती है जिनमें 10971 ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है ।। स्थानीय निधि संपरीक्षा के अधीनस्थ क्षेत्रीय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कोरबा (रायगढ़) एवं कोरिया (अम्बिकापुर) में पदस्थ अमले द्वारा क्षेत्र अंतर्गत स्थित निगमित एवं अनिगमित निकायों की संपरीक्षा की जाती है ।

3. जनकार्य दिवस की स्थिति :-

अ वित्तीय वर्ष 2013-14 की जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2013 को अवशेष	2013-14 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2013-14 में संपादित कार्य	31.03.2014 को अवशेष
371503	76490	447993	32450	415543

ब वित्तीय वर्ष 2014-15 (31 दिसम्बर 2014 तक) में जनकार्य दिवसों की स्थिति निम्नानुसार थी :-

01.04.2014 को अवशेष	2014-15 की मांग	कुल मांग	वर्ष 2014-15 में संपादित कार्य (31.12.2014 तक)	31.12.2014 को अवशेष
415543	77008	492551	13838	478713

4. संपरीक्षा शुल्क :-

अ. 2013-14 में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

(आंकड़े करोड़ रू में)

01.04.2013 को प्रारंभिक शेष	01.04.2013 से 31.03.2014 तक मांग	कुल मांग (31.03.2014 तक)	कुल वसूली (31.03.2014 तक)	दिनांक 31.03.2014 को अवशेष
16.35	2.84	19.19	2.58	16.61

ब. 2014-15 (31 दिसम्बर 2014 तक) में संपरीक्षा शुल्क जमा एवं शेष की स्थिति निम्नानुसार थी :-

(आंकड़े करोड़ रू में)

01.04.2014 को प्रारंभिक शेष	01.04.2014 से 31.12.2014 तक मांग	कुल मांग (31.12.2014 तक)	कुल वसूली (31.12.2014 तक)	दिनांक 31.12.2014 को अवशेष
16.61	1.6	17.77	1.01	16.76

5. संपरीक्षा प्रतिवेदन :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (31 दिसम्बर 2014 तक) में विभिन्न संस्थाओं/ निकायों की ओर संपरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रसारण की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

अ वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रसारित संपरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति निम्नानुसार थी:-

01.04.2013 को प्रसारण हेतु लंबित प्रति	2013-14 में प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2013-14 में प्रसारित प्रतिवेदन	31.03.2014 को अवशेष
118	445	563	496	67

ब वित्तीय वर्ष 2014-15(दिनांक 31 दिसम्बर 2014 तक) में प्रतिवेदन प्रसारण की स्थिति निम्नानुसार है :-

01.04.2014 को अवशेष	2014-15 में (31.12.2014 तक) प्राप्त प्रतिवेदन	कुल प्रतिवेदन	वर्ष 2014-15 में (31.12.2014 तक) प्रसारित प्रतिवेदन	31.12.2014 को अवशेष
67	638	705	453	252

6. निराकृत आपत्तियां :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 (31 दिसम्बर 2014 तक) की स्थिति में विभिन्न स्थानीय निकायों की ओर लंबित एवं निराकृत आपत्तियों की जानकारी एवं सन्निहित राशि की जानकारी निम्नानुसार थी:-

अ वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या
226270	12858	239128	4026	235102

ब वित्तीय वर्ष 2014-15 (31 दिसम्बर 2014 तक) की स्थिति में :-

प्रारंभिक लंबित आडिट आपत्ति संख्या	वर्ष के दौरान लिये गये आडिट आपत्ति संख्या	कुल अवशेष आडिट आपत्ति संख्या	निराकृत आडिट आपत्ति संख्या	अवशेष आडिट आपत्ति संख्या
235102	15572	250674	3145	247529

7. स्थानीय निकायों के आय-व्यय -

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में जिन निकायों की संपरीक्षा की गई उनके आय-व्यय के आंकड़े निम्नानुसार रहे:-

(राशि रू में)

अ	वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में :-	
	आय -	46130871094
	व्यय -	22831055375
ब.	वित्तीय वर्ष 2014-15 (31.12.2014) की स्थिति में	
	आय -	35219849450
	व्यय -	29405843165

8. प्रभक्षण :-

लेखा नियमों की अवहेलना तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्रशासनिक शिथिलता के कारण प्रतिवेदनाधीन अवधि में प्रभक्षण की स्थिति निम्नानुसार थी :-

दिनांक 31.12.2014 तक प्रकरणों की संख्या	प्रकरण में सन्निहित राशि रू
1414	46781382

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष में प्रभक्षण से संबंधित प्रमुख आपत्तियों का उदाहरण निम्नानुसार है :-

क्र.	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका क्र.	विवरण	राशि रू.
1	नगर पंचायत बारसूर	2012-13	4	महेन्द्र पुजारी द्वारा प्राप्त आय निधि में जमा का अभाव	20265
2	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2012-13	9	करों की राशि जमा न कर प्रभक्षण	19571
3	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2012-13	11	दैनिक आय की राशि जमा न कर प्रभक्षण	80444
4	नगर पंचायत नारायणपुर	2012-2013	4	संग्रहित आय जमा न कर प्रभक्षण	18120
5	नगर पंचायत नारायणपुर	2012-2013	5	संभावित प्रभक्षण	11849
6	नगर पंचायत नारायणपुर	2012-2013	10	भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की राशि का प्रभक्षण	39819
7	नगर पंचायत नारायणपुर	2012-2013	11(ब)	आहरित राशि का प्रभक्षण	208066
8	जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय सक्ती	1998-99 से 2012-13	4	केश बुक के योग मे त्रुटि से प्रभक्षण की संभावना	33721
9	जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय सक्ती	1998-99 से 2012-13	5	बैंक से आहरण कर कैशबुक में इन्द्राज नहीं कये जाने से राशि के दुरुपयोग की संभावना	178558
10	जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय सक्ती	1998-99 से 2012-13	6	कैशबुक में जमा दर्शित आय का बैंक खाता में प्रविष्टि के अभाव में राशि की उपयोगिता संदिग्ध	44342
11	जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय सक्ती	1998-99 से 2012-13	7	रसीदों से आय राशि का बैंक /निधि में समुचित जमा के अभाव में राशि के प्रभक्षण की संभावना	1116347

क.	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका क.	विवरण	राशि रू.
12	जवाहर लाल नेहरु महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	8	रसीदों से प्राप्त समस्त आय की बैंक में जमा नहीं करने से प्रभक्षण की संभावना	212676
13	नगर पंचायत राहौद	2013–14	9	रसीद बुकों से वसूल राशि परिषद् निधि में जमा नही किया जाना	26150
14	न.पं. अम्बागढ़चौकी	2012–13	8	राशि का स्वयं हित में उपयोग किया जाना	21000
15	ग्रा.पं. घोघरा नवागढ़	08–09 से 10–11	7	नियत सीमा से अधिक नगद शेष राशि अपने पास रखे जाने	11846
16	ग्रा.पं. भैसागुढ़ा नवागढ़	08–09 से 10–11	9	नियत सीमा से अधिक नगद शेष रखे जाने से रोकड़बही के योग त्रुटिकर प्रभक्षण	54739
17	ग्रा.पं. बेवरा नवागढ़	08–09 से 10–11	9	नगद राशि प्रभार में न सौपकर प्रभक्षण किया जाना	246755
18	ग्रा.पं. देवरी ख गुण्डरदेही	2012–13	6	नवनियुक्त सरपंच को प्रभार में नहीं सौपा जाना	71028
19	न.प. चिखलाकसा	2011–12	7	विभिन्न रसीदों से वसूल की गई राशि नगर पंचायत निधि में जमा न किया जाकर प्रभक्षण	83550
20	ग्रा.पं. कोलिहामार गुरूर	2012–13	6	संग्रहित आय ग्राम पंचायत निधि में कम जमा अथवा जमा न किया जाना	14750
21	न.पा.प. खैरागढ़	08–09 से 10–11	10 (अ)	विभिन्न रसीदों से वसूल की गई राशि निकाय निधि में जमा न किया जाकर प्रभक्षण	445581
22	न.पा.प. खैरागढ़	08–09 से 10–11	10 (ब)	विभिन्न रसीदों से वसूल की गई राशि निकाय निधि में जमा न किया जाकर प्रभक्षण	16012
23	जनपद पंचायत–रायगढ़	2008–09 से 2011–12	48	अग्रिम के रूप में निधि का दुरूपयोग	85000
24	नगर पंचायत–धरमजयगढ़	2010–11 से 2011–12	5	दैनिक आय से प्राप्त राशि कैशियर कैशबुक में जमा नहीं किया जाना	23206
25	नगर पंचायत–धरमजयगढ़	2010–11 से 2011–12	6	आहरित राशि का भुगतान पावती अप्राप्त होने के कारण संभावित प्रभक्षण	20725

क.	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका क.	विवरण	राशि रू.
26	नगर पंचायत–छुरीकला	2010–11 से 2011–12	6	कर संग्राहक द्वारा रसीदों के माध्यम से वसूल की गई राशि निधि में जमा न कर प्रभक्षण	11310
27	ग्रा.पं. अखरापाली ज.पं.कटधोरा जिला–कोरबा	2006–07 से 2011–12	3	नगद एवं बैंक में जमा राशि को वर्तमान सरपंच को प्रभार में नही सौंपा गया एवं राद्दि कैश बुक के आय पक्ष में नही दर्शायी गई।	70805
28	ग्रा.पं. अखरापाली(मनरेगा) ज.पं.कटधोरा जिला–कोरबा	2007–08 से 2011–12	5	नगद राशि को वर्तमान सरपंच को प्रभार में नही सौंपा गया एवं राशि आय पक्ष में नही दर्शायी गई।	27122
29	नगर पंचायत पुसौर जिला–रायगढ़	2011–12	9	बैंक से आहरित राशियों की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किये जाने से प्रभक्षण।	22495
30	नगर पंचायत पुसौर जिला–रायगढ़	2011–12	10	बैंक से आहरित राशि की प्रविष्टि रोकड़ बही में न किये जाने से प्रभक्षण।	34500
31	ग्राम पंचायत जेंजरा जनपद पंचायत कटघोरा जिला– कोरबा छ.ग.	2012–13	5	ग्राम पंचायत को आवंटित राशि में से पूर्व सरपंच द्वारा अपने अभिरक्षा में राशि रखा जाकर वापस नही किया जाकर प्रभक्षण।	54240
32	ग्राम पंचायत बोखी जनपद पंचायत फरसाबहार जिला–जशपुर छ.ग.	2009–10 से 2010–11	9	रोकड़ बही वर्ष 2009–10 के नगद कालम में वास्तविक राशि से कम राशि अंकित कर अंतर राशि का प्रभक्षण किया जाना।	55400
33	न.पं. खैरागढ़	08–09 से 10–11	10(अ)	नगद राशि का प्रभक्षण	445581

9. अधिभार :–

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत, ऐसी हानियों के प्रकरण जो किसी अधिकारी /कर्मचारियों की अपने कर्तव्यों के प्रति घोर अवहेलना, कदाचरण अथवा तत्परता से कर्तव्यों का पालन न करने या कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतने के कारण अवैधानिक व्यय हुआ हो, ऐसे प्रकरणों में अधिभार कार्यवाही संस्थित की जाती है । ऐसे अधिभार प्रकरणों में विभाग द्वारा कार्यवाही की स्थिति निम्नानुसार है :–

अ. वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में :-

क	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रू	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रू
1	अधिभार आरोप पत्र	40	3785718	0	40	3785718
2	अधिभार सूचना	14	1534177	0	14	1534177
3	अधिभार आदेश	6	29946	0	6	29946
4	मांग प्रमाण पत्र	19	73726	0	19	73726

ब. वित्तीय वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.14 से 31.12.2014) की स्थिति में :-

क	प्रकरण का विवरण	संख्या	सन्निहित राशि रू	निराकृत संख्या	अवशेष संख्या	अवशेष राशि रू.
1	अधिभार आरोप पत्र	20	1648893	0	20	1648893
2	अधिभार सूचना	15	1779260	0	15	1779260
3	अधिभार आदेश	10	517301	0	10	517301
4	मांग प्रमाण पत्र	19	73726	0	19	73726

महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी :-

संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी कुछ महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

10. क्षति/हानि संबंधी अनियमिततायें :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी क्षति/ हानि संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क.	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि रू.
1	नगर पंचायत लवन	09-10 से 10-11	08	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना दुकान व चबूतरों का आबंटन नहीं किये जाने से क्षति	196800
2	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	08-09 से 09-10	19	व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य में विलंब होने पर विलंब शुल्क की कटौती न किये जाने से क्षति	703960
3	नगर पंचायत राजिम	2012-13	13	रायल्टी राशि की कम वसूली से हानि	497920
4	नगर पंचायत खरोरा	2011-12	12	निर्धारित राशि से कम दुकान किराया निर्धारण करने से परिषद को क्षति	214316
5	नया रायपुर डेव्हलपमेंट	05-06 से	09	ब्याज की हानि	182598630

	अथॉरिटी	06–07			
6	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	20	दुकानों के आबंटन न होने से गभ्भीर आवर्ती क्षति (संभावित)	224400
7	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	58	मूल्य संवर्धित कर की कटौती न करने से शासन को क्षति रूपये	221092
8	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	59	रायल्टी कटौती कम करने से शासन को क्षति	209879
9	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	60	रायल्टी राशि का शासन कोष में जमा का अभाव	446565
10	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	2010–11 से 2011–12	5	विश्वविद्यालय निधि की विनियोजित राशि से बैंक द्वारा आयकर कटौती किये जाने से आर्थिक क्षति बैंक से राशि प्राप्ति अपेक्षित	436463
11	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	2010–11 से 2011–12	12	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति से देय फीस की प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त न होने से विश्वविद्यालय को क्षति	43848600
12	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	2010–11 से 2011–12	30	बीएड/डीएड काउंसलिंग पर विश्वविद्यालय निधि का दुरूपयोग	262475
13	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	2010–11 से 2011–12	32	बी.एड. द्वितीय वर्ष की संपर्क कक्षा पर विश्वविद्यालय निधि का दुरूपयोग	192500
14	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	5	बैंक से आहरण कर केशबुक में इन्द्राज नहीं किये जाने से राशि के दुरुपयोग की संभावना	178558
15	नगर पंचायत बारसूर	2011–12	6	मोबाईल टावर नवीनीकरण /समझौता शुल्क वसूली के अभाव में क्षति	1645000
16	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–2013	11	व्यावसायिक परिसर की पुर्ननीलामी से क्षति	169700
17	नगर पंचायत, बीजापुर	2010–11	6	मोबाईल टावर नवीनीकरण/ समझौता शुल्क की राशि जमा न किये जाने से क्षति	2015000
18	नगर पंचायत, बीजापुर	2011–12	8	मोबाईल टावर नवीनीकरण/ समझौता शुल्क की राशि जमा	425000

				न किये जाने से क्षति	
19	नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव	2012–13	15	मुद्रांक शुल्क की राशि जमा न किये जाने से क्षति	162301
20	ग्राम पंचायत चिपावंड जनपद पंचायत कोण्डागांव	2012–13	7	मोबाईल टॉवर नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली का अभाव	800000
21	ग्राम पंचायत मालाकोट जनपद पंचायत कोण्डागांव	2012–13	6	मोबाईल टॉवर नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली का अभाव	800000
22	ग्राम पंचायत तारापुर जनपद पंचायत बकावण्ड	2012–13	10	मोबाईल टॉवर नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली का अभाव	800000
23	ग्राम पंचायत बड़ेबेंदरी जनपद पंचायत कोण्डागांव	2012–13	6	मोबाईल टॉवर नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली का अभाव	375000
24	ग्राम पंचायत सोनाबाल जनपद पंचायत कोण्डागांव	2012–13	8	मोबाईल टॉवर नवीनीकरण शुल्क की राशि वसूली का अभाव	800000
25	नगर पंचायत गीदम	2012–13	13	अस्थाई दखल ठेका नीलामी में आर्थिक क्षति	419200
26	ग्राम पंचायत गोलावंड जनपद पंचायत कोण्डागांव	2012–13	10	मोबाईल टॉवर समझौता शुल्क की राशि वसूली का अभाव	375000
27	न.पा.परि. जामुल	2013–14	11	सेल्युलर मोबाइल फोन के लिए अस्थायी टावर निर्माण अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नहीं कराये जाने से आर्थिक क्षति	233000
28	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2011–12	25(2)	हस्तपंप संधारण हेतु सामग्री क्रय अनियमित	585745
29	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2011–12	25(3)	पेयजल सामग्री बिना निविदा के क्रय किया जाना	305990
30	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2012–13	10	लंबी अवधि से संपत्तिकर एवं समेकित कर वसूल नहीं किये जाने से आर्थिक क्षति	1293852
31	न.पा.परि. डोंगरगढ़	2012–13	15	दूरसंचार कंपनियों का केबल लाइन एवं टावर रिलेंस्टेशन नवीनीकरण से वसूली वांछित	349000
32	न.पं. गुरूर	2011–12	14	दूरसंचार कंपनियों को केबल लाइन एवं टावर रिलेंस्टेशन स्थापित करने की अनुमति नवीनीकरण का अभाव	490000

33	न.पं. डोंगरगांव	2012–13	15	मोबाईल टावर नवीनीकरण एवं अधिभार राशि वसूली अपेक्षित	687000
34	न.पं. डोंगरगांव	2011–12	24	न्यूनतम दर आमंत्रित किये बिना क्रय अथवा काम कराने से संभावित क्षति	165773
35	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	17	मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 37 दुकानों के आबंटन न होने से आर्थिक क्षति	216960
36	न.पा.नि. दुर्ग	2010–11	13	प्रशासनिक भवन के प्रथम तल को लीज पर न दिये जाने से आर्थिक क्षति	5173000
37	न.पा.नि. दुर्ग	2010–11	14	गंजपारा पुराना गंज मंडी के पास 6 दुकानों का आबंटन न होने के कारण आर्थिक क्षति	3562061
38	न.पा.नि. दुर्ग	2010–11	15	संपत्तिकर अधिभार न लेने से निगम को आर्थिक क्षति	280889
39	न.पा.नि. दुर्ग	2010–11	16	राशि का दुरूपयोग संभावित	602389
40	न.पा.नि. दुर्ग	2010–11	23	अटल आवास योजना अपूर्ण रहने से निष्फल व्यय	12164000
41	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	8	प्राप्त धनादेशों का बैंक से अनादृत/निरस्त होने से राशि जमा के सत्यापन का अभाव	542513
42	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	11	बी.एस.पी. क्षेत्र से निगम को देय अनिवार्य समेकित भुगतान के अभाव में आर्थिक क्षति	53741140
43	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	15	आकाशगंगा व्यावसायिक परिसर का दुकान किराया में यथा समय वृद्धि न किये जाने से आर्थिक क्षति	5041294
44	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	16	लंबी अवधि से संपत्तिकर एवं समेकितकर वसूल नहीं किये जाने से निगम निधि को आर्थिक क्षति	2162135
45	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	20(अ)	अवैध तारों से अनुज्ञा एवं नवीनीकरण शुल्क वसूली के अभाव में आर्थिक क्षति	709500
46	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	32	ए.टी.एम की स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क प्राप्त नहीं होने से आर्थिक क्षति	1656000
47	ज.पं. राजनांदगांव	2012–13	6	अंतर सुधार की अनियमित	3273388

				प्रविष्टि से क्षति अपवंचन की संभावना	
48	नगर पंचायत–लैलुंगा, जिला–रायगढ़	2011–12	27	अपूर्ण देयकों का अनियमित भुगतान	3220079
49	नगर पंचायत–लैलुंगा, जिला–रायगढ़	2011–12	34	क्रय सामाग्रियों का स्कन्ध प्रविष्टि नहीं किये जाने से संभावित दुरूपयोग	309485
50	नगर पंचायत–पुसौर, जिला–रायगढ़	2010–11	14	स्कन्ध प्रविष्टि न किये जाने से विद्युत सामाग्रियों का दुरूपयोग एवं संभावित अधिक भुगतान राशि	625000
51	नगर पंचायत–पुसौर, जिला–रायगढ़	2011–12	6	मांग बकाया प्रारंभिक शेष त्रुटिपूर्ण लिये जाने से क्षति संभावित	553413
52	नगर पंचायत–किरोड़ीमल नगर, जिला–रायगढ़	2011–12	9	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड रायगढ़ के संपत्तिकर परिगणना में त्रुटि पूर्ण कर कम जमा प्राप्त किया जाना	5888198
53	नगर पंचायत–किरोड़ीमल नगर, जिला–रायगढ़	2011–12	10	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड रायगढ़ से समेकित कर नहीं लिये जाने से निकाय को संभावित क्षति	322200
54	नगर पंचायत–किरोड़ीमल नगर, जिला–रायगढ़	2011–12	11	जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड रायगढ़ से भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निर्धारित शुल्कनहीं लिये जाने से निकाय को आर्थिक क्षति	821329
55	जनपद पंचायत–कटघोरा, जिला–कोरबा	2011–12	17.।	राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) राशि अप्राप्त होना	2084558
56	ग्राम पंचायत चिताबहार जनपद पंचायत अम्बिकापुर	2013–14	11	भंडार क्रय सामग्रियों के स्टाक प्रविष्टि का अभाव भुगतान राशि	898104
57	ग्राम पंचायत प्रतापपुर (मनरेगा) जनपद पंचायत लखनपुर	2013–14	7	भंडार क्रय सामग्रियों के स्टाक प्रविष्टि का अभाव भुगतान राशि	1012875
58	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2010–11	8	कुल सचिव के एक पद के विरुद्ध दोहरा भुगतान	241090

11. अनावश्यक एवं अनियमित व्यय :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान दृष्टिगत अनावश्यक एवं अनियमित व्यय संबंधी आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि रू.
1	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	08-09 से 09-10	29	प्रमाणकों के सत्यापन का अभाव	13166512
2	कृषि महाविद्यालय ई.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	2009-10	12	पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान	1906513
3	कृषि महाविद्यालय ई.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	2009-10	13	सामग्री क्रय कर अनियमित व्यय	2134027
4	नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी	05-06 से 06-07	24	मेसर्स उत्तमचंद जैन (वास्तुविद सलाहकार), नई मुंबई की नियुक्ति प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण	5221546
5	नगर पालिका परिषद सक्ती	2011-12	11	क्रय सामग्री की भंडार प्रविष्टी नहीं भुगतान अनियमित	1616849
6	नगर पालिका परिषद सक्ती	2012-13	12	क्रय सामग्री की भंडार प्रविष्टी नहीं भुगतान अनियमित	3889127
7	नगर पालिका परिषद सक्ती	2012-13	13	विद्युत पोल एवं विद्युतीकरण कार्य का संदिग्ध एवं अनियमित भुगतान	4218861
8	नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला	2012-13	27	श्रमिक ठेका पर प्रावधान से अधिक व्यय	4878966
9	नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला	2012-13	33	स्वागत-समारोह पर निर्धारित व्यय सीमा से अधिक एवं अनियमित व्यय	994999
10	नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला	2012-13	38	योजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब से अधिक व्यय संभावित	1586000
11	नगर पंचायत - कोटा	2013-14	12	ठेकेदारो को अग्रिम का अनियमित भुगतान	7608500
12	नगर पंचायत बाराद्वार	2012-13	21	सामग्री क्रय में अनियमितता	1111624
13	नगर पंचायत बलौदा	2012-13	32	मदान्तरण कर अनियमित व्यय किया जाना	1288141
14	जनपद पंचायत कोटा	2011-12	18	विशेष केन्द्रीय सहायता मद में अनियमित व्यय	850000
15	ग्राम पंचायत झलफा	2013-14	8	रू. 1500 से अधिक का भुगतान नगद किया जाना	1100698
16	ग्राम पंचायत हिर्री	2011-12	13	रूपये 1500/- से अधिक का भुगतान नगद किया जाना	847900
17	ग्राम पंचायत परसाही	2009-10 से 2010-11	10	रूपये 1500/- से अधिक का भुगतान नगद किया जाना	847300

18	ग्राम पंचायत चारपारा	2013–2014	12	भण्डार क्रय नियमो के विपरीत सामाग्री क्रय कर अनियमित भुगतान	1278515
19	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	2010–11 से 2011–12	15	पाठ्य सामग्री मुद्रण का अनियमित भुगतान राशि	10248048
20	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	2010–11 से 2011–12	25	बिना प्रावधानों के यात्रा भत्ता पर अनियमित व्यय	1257399
21	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	2010–11 से 2011–12	26	वाहनों के संधारण एवं पी.ओ.एल.का अनियमित व्यय	1531635
22	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	16	अनाधिकृत निधि चालन से राशि का दुरुपयोग संभावित गंभीर आर्थिक अनियमितता	10295461
23	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	42	फर्मो /व्यक्तियों को लेखा नियमों के विपरीत भुगतान की संभावना	5989416
24	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	49	प्राप्त यूजीसी अनुदान राशि का अनियमित व्यय	2719134
25	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	53	भंडार क्रय नियमों के पालन का अभाव	4143887
26	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2011–12	17	अप्राप्त निविदा कर्त्ता से क्रय अनियमित	1617300
27	नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव	2012–13	25	वास्तुविद को भुगतान अनियमित	1082930
28	जनपद पंचायत माकड़ी	2011–12	16	प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में अनियमित भुगतान	4145000
29	जनपद पंचायत माकड़ी	2012–13	14	प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में अनियमित भुगतान	5131500
30	जनपद पंचायत माकड़ी	2012–13	22	भण्डार क्रय नियमों का पालन न किये जाने से भुगतान अनियमित	2040300
31	न.पं. डोंगरगांव	2011–12	26	कार्यालय भवन निर्माण में अनियमितता	1703674
32	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	31	नया फायर बिग्रेड क्रय में अनियमितता	2078800
33	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	52	बी.आर.जी.एफ. योजनामद से अन्य कार्यो के देयकों का अनियमित भुगतान	9124179
34	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	53	बी.आर.जी.एफ. योजनामद से वेतन	1323638

				भुगतान का अनियमित भुगतान	
35	नगर पंचायत–लैलुंगा, जिला–रायगढ़	2011–12	25	योजनाओं में प्राप्त राशि से अधिक अनियमित व्यय	9740752
36	नगर पंचायत–लैलुंगा, जिला–रायगढ़	2011–12	33	देयक के अभाव में अनियमित भुगतान	7310410
37	नगर पंचायत–किरोड़ीमल नगर, जिला–रायगढ़	2011–12	17	बीआरजीएफ मद से प्राप्त निधि से स्वीपिंग मशीन क्रय योजना मद का दुरूपयोग	1821000
38	जिला पंचायत कोरबा	2008–09 से 2010–11	5	योजनाओं की राशि का अन्य मद में अंतरण अनियमित	323697050
39	जिला पंचायत कोरबा	2008–09 से 2010–11	10	ग्राम पंचायतों के मूलभूत कार्य हेतु प्राप्त राशि का दुरुपयोग	17184797
40	जिला पंचायत कोरबा	2008–09 से 2010–11	12	बी.आर.जी.एफ. योजना मद औद्योगिक प्रक्षेत्र के विकसित सीमा में स्वीकृत किया जाना संभावित राशि का दुरुपयोग	16596100
41	जिला पंचायत कोरबा	2008–09 से 2010–11	13.1	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा को योजना अंतर्गत राशि आबंटन से योजना मद का दुरुपयोग संभावित	1360000
42	जिला पंचायत कोरबा	2008–09 से 2010–11	14	बी.आर.जी.एफ. योजना मद की राशि से नगर पालिक निगम कोरबा के औद्योगिक प्रक्षेत्र क वार्डो हेतु आबंटित किया जाना योजना मद का दुरुपयोग	93231600
43	जिला पंचायत कोरबा	2008–09 से 2010–11	16	जल संग्रहण विकास की राशि का संभावित दुरुपयोग	15394400
44	जिला पंचायत कोरबा (मनरेगा)	2007–08 से 2010–11	5	रतनजोत पौधा रोपण पर व्यय निरर्थक राशि	301616313
45	जनपद पंचायत कोरबा	2010–11	19	सामाजिक सुरक्षा पेंशन राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन सुखद सहारा योजना विकलांग पेंशन योजना अपात्र व्यक्तियों को स्वीकृत कर योजना मद का दुरुपयोग	2490000
46	जनपद पंचायत–कटघोरा, जिला–कोरबा	2010–11	4	बैंक खातों से प्राप्त ब्याज राशि संबंधित योजनामद में जमा नहीं किये	1081776

				जाने से योजना मद का दुरूपयोग	
47	जनपद पंचायत–कटघोरा, जिला–कोरबा	2011–12	5	बैंक खातों से प्राप्त ब्याज राशि संबंधित योजनामद में जमा नहीं किये जाने से योजनामद का दुरूपयोग राशि	1722413
48	ग्राम पंचायत चिताबहार जनपद पंचायत अम्बिकापुर	2 2013–14	8	बिना TIN नम्बर वाले बिल प्रस्तुत किया जाना	1045474
49	ग्राम पंचायत चिताबहार जनपद पंचायत अम्बिकापुर	2013–14	12	धनादेश के धनादेश के स्थान पर नगद भुगतान अनियमित	902827
50	ग्राम पंचायत प्रतापपुर जनपद पंचायत लखनपुर	2013–14	12	धनादेश के स्थान पर नगद भुगतान अनियमित	817000
51	ग्राम पंचायत बिसरपानी जनपद पंचायत मैनपाट	2013–14	7	बिना TIN नम्बर वाले बिल प्रस्तुत किया जाना अनियमित	1066500
52	जनपद पंचायत मैनपाट जिला सरगुजा	2008–09से 2010–11	11	वाहन किराया का अनियमित भुगतान	813972
53	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2010–11	6	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति कर अनियमित भुगतान	1076607
54	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2010–11	7	संविदा/तदर्थ नियुक्त कर्मचारी अधिकारी की अनियमित नियुक्ति कर अनियमित वेतन भुगतान	1341237
55	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2010–11	17	प्रमाणकों में बिना बिल संलग्न के अनियमित भुगतान	1395236
56	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2010–11	18	जीप/वाहन किराया का अनियमित भुगतान	955009
57	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2011–12	6	दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति कर अनियमित भुगतान	1641862
58	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2011–12	21	प्रमाणकों में बिना बिल संलग्न के अनियमित भुगतान	2444197
59	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2011–12	22	जीप/वाहन किराया का अनियमित भुगतान	955009

12. स्थापना संबंधी :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शित स्थापना संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि रू.
1	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	08–09 से 09–10	15	ट्रेक्टर चालक पद पर अनियमित नियुक्ति	173129
2	नगर पंचायत मानाकैम्प	2012–13	12	स्वीकृत सेटअप से अधिक नियमित	763411

				कर्मचारियों के पदस्थापना से वेतन भत्तों का अनियमित भुगतान	
3	नगर पंचायत कसडोल	2012–13	12	कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को शासनादेश के विपरीत अनियमित भुगतान	1016483
4	नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा	2010–11	28	दैनिक वेतन पर श्रमिकों/ कर्मचारियों का अनियमित भुगतान	1687475
5	नगर पंचायत तुमगांव	08–09 से 09–10	26	मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को बिना अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के वेतन भत्तों का अनियमित भुगतान	297252
6	नगर पंचायत तुमगांव	08–09 से 09–10	28	दैनिक वृत्ति/निश्चित मासिक दर पर कर्मचारी रखा जाकर वेतन का अनियमित भुगतान	321439
7	संचालक अनुसंधान सेवायें ई.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	2009–10	05	दैनिक वेतन पर कार्यालय कार्य हेतु कर्मचारी/श्रमिक नियोजन कर पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान	97969
8	संचालक अनुसंधान सेवायें ई.गां.कृ.वि.वि. रायपुर	2009–10	06	श्री आसिफ अली खान को प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी के पद पर शासन आदेश के विपरीत अनुकम्पा नियुक्ति	147912
9	नगर पालिका परिषद मुंगेली	2011–2012	25	अर्थ वर्ष 2011–12 में गृह भाड़ा भत्ता का अधिक भुगतान वसूली अपेक्षित	99410
10	नगरपालिका परिषद सक्ती	2011–12	9	गृह भाड़ा भत्ते में अधिक भुगतान	117912
11	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	28	शिक्षाकर्मियों को अधिक भुगतान वसूली योग्य	49560
12	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	29	जांच अधीन प्रकरणान्तर्गत शिक्षाकर्मियों को शासनादेश के विपरीत भुगतान	308775
13	नगर पंचायत तिफरा	2012–13	19	टाईम कीपर एवं सहायक राजस्व निरीक्षक का पद स्वीकृत नहीं होने के बाद भी उक्त पदों की पदस्थापना के फलस्वरूप अनियमित व्यय	651915
14	नगर पंचायत तिफरा	2012–13	21	दैनिक श्रमिकों को भुगतान अनियमित	2551877
15	नगर पंचायत सरगांव	2013–14	32	वर्ष 1997 के बाद रखे गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2013–14 में भुगतान	953887
16	नगर पंचायत बलौदा	2012–13	33	वर्ष 1997 के बाद रखे गये दैनिक	90538

				भोगी कर्मचारियो को किये जा रहे भुगतान वसूली के संबंध में	
17	जनपद पंचायत बलौदा	2012–13	15(अ)	पुनरीक्षित वेतनमान 2009 के आधार पर ग्रेज्युटी एवं सेवानिवृत्त अवकाश नगदीकरण में अधिक भुगतान किया जाना	63120
18	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	45	विधि महाविद्यालय के प्राचार्य को भुगतान ऋण की वापसी अपेक्षित	149286
19	बस्तर विश्व विद्यालय	2011–2012 से 2012–13	17	चिकित्सा भत्ते का अनियमित भुगतान	73287
20	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2011–12	14	राजहरा माइंस से आबंटित आवास के किराये की राशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी से वसूली अपेक्षित	143673
21	न.पं. खैरागढ़	08–09 से 10–11	13	20 प्रतिशत अंतरिम राहत का अनियमित भुगतान	281532
22	नगर पंचायत देवकर	2013–14	9	पद स्वीकृति के बिना स्थायी प्रकृति के कार्यो हेतु मस्टर रोल से नियमित रूप से श्रमिक नियोजित कर पारिश्रमिक भुगतान अनियमित	767599
23	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	24	सक्षम स्वीकृति के अभाव में निगम कर्मचारी/अधिकारियों को प्रदाय चिकित्सा व वाहन भत्ता का भुगतान अनियमित	6711745
24	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	25	सक्षम स्वीकृति के अभाव में कार्यभारित/आकस्मिक पदों में वेतन भुगतान अनियमित	3161408
25	ज.पं. राजनांदगांव	2011–12	4	पद स्वीकृति के अभाव में कंप्यूटर आपरेटर को अनियमित भुगतान	84033
26	जनपद पंचायत मैनपाट जिला सरगुजा	2012–13	9	सहायक ग्रेड- 03 का अनियमित नियुक्ति का वेतन भुगतान	130683
27	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2010–11	10	नगर क्षतिपूर्ति भत्ता एवं अतिरिक्त कार्य भत्ता का अनियमित भुगतान	53981
28	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2011–12	17	संविदा (ओ.एस.डी.) अधिकारी को अनियमित वेतन भुगतान	159194
29	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर	2011–12	19	संविदा नियुक्त अधीक्षक को अनियमित वेतन भुगतान	58578

	जिला सरगुजा				
30	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा	2011–12	20	संविदा नियुक्त (ओ.एस.डी.) अधिकारी को अनियमित वेतन भुगतान	64000

13. निर्माण कार्य संबंधी अनियमिततायें :–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी निर्माण कार्य संबंधी अनियमिताओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

क.	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि रू.
1	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	15	अनुमानक से अधिक भुगतान	5213268
2	न.पा.नि. दुर्ग	2010–11	24(1)	स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक कार्य	5027112
3	न.पा.परि. डोंगरगढ़	2012–13	27	महावीर तालाब सौन्दर्यीकरण में अनियमित व्यय	4227975
4	नगर पंचायत – कोटा	2012–13	13	ठेकेदारो को अग्रिम का अनियमित भुगतान	3650000
5	जनपद पंचायत कोरबा	2010–11	14	अपूर्ण कार्यो के कारण छ.ग.ग्रामीण निर्माण योजना मद का दुरुपयोग	3246661
6	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	1998–99 से 2012–13	28	निर्माण कार्यो पर भुगतान संदेहास्पद	3037733
7	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	08–09 से 09–10	17	बस स्टैण्ड निर्माण कार्य में अधिक व्यय	2981924
8	नगर पंचायत–लैलुंगा, जिला–रायगढ़	2010–11	27	योजनाओं में प्राप्त राशि से अधिक अनियमित व्यय	2923939
9	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	49	बी.आर.जी.एफ योजनांतर्गत किचन शेड निर्माण की निविदा प्रक्रिया अनियमित होने से आर्थिक क्षति संभावित	2580000
10	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	23	शासकीय स्कूल भवनों में बगैर शासन स्वीकृति के निर्माण कार्य का भुगतान	2110965
11	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	20	व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य में अधिक भुगतान	1935008
12	नगर पंचायत बारसूर	2011–12	13	तकनीकी माप दण्ड से अधिक भुगतान	1578096
13	नगर पंचायत सरगांव	2013–14	19	निर्माण कार्य देयक में बिना तकनीकी स्वीकृति के भुगतान राशि	1503212
14	नगर पंचायत बीजापुर	2013–14	24	डाटा सेन्टर निर्माण कार्य में स्वीकृति	1403325

				से अधिक भुगतान	
15	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	16	हाट बाजार निर्माण में अधिक भुगतान	1395458
16	नगर पंचायत खरोरा	09–10 से 10–11	18	सांस्कृतिक भवन निर्माण पर अधिक व्यय	1362166
17	नगर पंचायत बीजापुर	2012–13	27	तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में स्वीकृत मद से अधिक भुगतान	1354648
18	ग्राम पंचायत तरागी जनपद पंचायत बतौली	2013–14	9	स्थावर संपत्तियों की पंजी संधारण का अभाव	1341765
19	जनपद पंचायत कोरबा	2010–11	16	ग्राम पंचायत रजगामार में दो योजनाओं से एक ही प्रकार के कार्य स्वीकृत किया जा कर योजना मद का दुरुपयोग	1120000
20	नगर पालिका परिषद सक्ती	2011–12	17	स्वीकृत प्राक्कलन से अधिक व्यय अनियमित	1045054
21	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	17	शॉपिंग कॉम्पलेक्स में अधिक भुगतान	1039981
22	जनपद पंचायत माकड़ी	2011–12	19	प्राक्कलन के अभाव में भुगतान अनियमित	1000000
23	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	18	रेस्टोरेंट निर्माण में अनियमितता से अधिक भुगतान	988171
24	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	19	व्यावसायिक परिसर निर्माण कार्य में अधिक भुगतान	921568
25	न.पा.परि. डोंगरगढ़	2012–13	45	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की कटौती न कर शासकीय राजस्व की हानि	667582
26	नगर पंचायत बीजापुर	2011–12	25	पाइप लाइन विस्तार कार्य में अधिक भुगतान	583562
27	नगर पंचायत बीजापुर	2012–13	28	स्वीकृत मद से भिन्न कार्य का भुगतान	548776
28	नगर पंचायत सरगांव	2013–14	29	निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य नहीं होने पर अर्थदण्ड की वसूली वांछित	548046
29	न.पं. अहिवारा	2012–13	14	स्टीमेट में दर्शित कार्यों की मात्रा से अधिक मात्रा की भुगतान	537340
30	जनपद पंचायत कोरबा	2010–11	15	अपूर्ण कार्यो के कारण ग्राम उत्कर्ष योजना मद का दुरुपयोग	507070
31	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	08–09 से 09–10	20	मुक्तिधाम बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्य पर अधिक भुगतान	475276
32	नगर पंचायत	2012–13	28	आयकर कटौती राशि शासन मद में	463000

	थानखम्हरिया			जमा शेष	
33	नगर पंचायत थानखम्हरिया	2012–13	29	वाणिज्यकर कटौती राशि शासन मद में जमा शेष	460000
34	न.पा.परि. डोंगरगढ़	2012–13	44	सक्षम तकनीकी स्वीकृति का अभाव एवं शासन की नीतियों के विरूद्ध भुगतान अनियमित	457912
35	नगर पालिका परिषद सक्ती	2012–13	15	निर्माण कार्य समयावधि में पूर्ण न होने पर अर्थदण्ड की राशि वसूल न किया जाना	450765
36	नगर पंचायत तिफरा	2012–13	18	सामुदायिक भवन निर्माण की निविदा राशि से अधिक लागत की राशि सिन्धी समाज से प्राप्त किया जाना अपेक्षित	429377
37	नगर पंचायत सरगांव	2013–14	18(ब)	एस.ओ.आर. से 16 प्रतिशत न्यूनतम निविदा स्वीकृति पर न्यूनतम राशि जमा न किया जाना	400000
38	नगर पंचायत–पुसौर, जिला–रायगढ़	2011–12	27	सुलभ शौचालय अग्रिम का समायोजन अपेक्षित	400000
39	जनपद पंचायत कोरबा	2010–11	12	पदाधिकारियों द्वारा निधि का दुरुपयोग वसूली अपेक्षित	397493
40	नगर पंचायत खरौद	2012–13	15	हाट बाजार निर्माण में अधिक भुगतान राशि	396604

14. कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली अपेक्षित:–

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा प्रतिवेदन में निकायों द्वारा कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली तत्परतापूर्वक यथासमय नहीं किये जाने से कर, शुल्क/अन्य राशि की वसूली भारी मात्रा में बकाया है । विवरण निम्नानुसार है :–

क.	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि रू
1	नगर पंचायत खरोरा	09–10 से 10–11	07	करों की बकाया	1527000
2	नगर पंचायत खरोरा	09–10 से 10–11	08	प्रतीक्षा बस स्टैण्ड दुकान नीलामी बकाया	1582750
3	नगर पंचायत खरोरा	2011–12	08	दुकान नीलामी बकाया	1442750
4	नगर पंचायत खरोरा	2012–13	12	करों की बकाया	2061986
5	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	08–09 से 09–10	05	करों की बकाया मांग	4275900
6	नगर पंचायत गरियाबंद	08–09 से	8	करों की बकाया मांग	2379571

		09–10			
7	नगर पालिका परिषद गोबरानवापारा	2009–10	09	कर बकाया	4036745
8	नगर पालिका धमतरी	2012–13	06	बकाया कर	21993000
9	नगर पालिका धमतरी	2012–13	08	दुकान किराया बकाया	2392974
10	नगर पालिका धमतरी	2012–13	13	दुकान किराया बकाया	1499550
11	नगर पंचायत कसडोल	2011–12	06	बकाया मांग	2102860
12	नगर पंचायत कसडोल	2012–13	04	बकाया मांग	2890929
13	नगर पंचायत मानाकैम्प	2012–13	11	मोबाइल कंपनियों से बकाया एवं समझौता वसूली योग्य	1550000
14	नगर पंचायत मानाकैम्प	2012–13	14	प्लेसमेंट एजेंसी को अनियमित भुगतान	1491332
15	कृषि उपज मण्डी समिति आरंग	2012–13	05	सहकारी विपणन संघ की ओर बकाया मण्डी शुल्क	47134448
16	कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा	2012–13	05	बकाया मण्डी शुल्क	42621798
17	कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा	2012–13	15	विपणन विकास निधि में जमा बकाया	38958469
18	कृषि उपज मण्डी समिति सरायपाली	2012–13 से 13–14	05	बकाया मण्डी शुल्क	50292278
19	कृषि उपज मण्डी समिति बागबाहरा	10–11 से 11–12	06	मण्डी शुल्क बकाया	19696214
20	कृषि उपज मण्डी समिति बसना	2012–13 से 13–14	06	बकाया मण्डी शुल्क	33059493
21	नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी	05–06 से 06–07	25	दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने के कारण विभिन्न सलाहकारों हेतु किया गया भुगतान संदिग्ध राशि वसूली योग्य	10197530
22	नगर पालिका परिषद मुंगेली	2011–2012	7	करों का बकाया राशि रूपये वसूली अपेक्षित	10876138
23	नगर पालिका परिषद सक्ती	2011–12	4	किराया एवं करों की बकाया मांग	2687592
24	नगर पालिका परिषद सक्ती	2012–13	4	किराया एवं करों की बकाया मांग	4695885
25	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	16	अवैध टावर स्थापना पर जुर्माना एवं अन्य शुल्क वसूली अपेक्षित	3231000
26	नगर पंचायत सरगांव	2012–13	31	वैटकर कटौती का अभाव	2375853
27	नगर पंचायत तिफरा	2012–13	15	करों की बकाया की वसूली अपेक्षित	3170000
28	नगर पंचायत तिफरा	2012–13	17	राज्य प्रवर्तित (प्रायोजित) योजना	3226939

				की शेष राशि की प्राप्ति अपेक्षित	
29	नगर पंचायत – कोटा	2013–14	3	किराया एवं करों की बकाया मांग	2695732
30	नगर पंचायत – कोटा	2012–13	4	किराया एवं करों की बकाया मांग	3071477
31	नगर पंचायत सरगांव	2013–14	7	अटल बाजार दुकान नीलामी की बकाया की वसूली बाबत	1569000
32	नगर पंचायत बाराद्वार	2011–12	4	बकाया मांग वसूली अपेक्षित	2656699
33	नगर पंचायत बाराद्वार	2012–13	4	बकाया मांग वसूली अपेक्षित	3560584
34	नगर पंचायत बलौदा	2012–13	6	बकाया मांग की वसूली वांछित रूपये	3277338
35	नगर पंचायत खरौद	2011–12	6	बकाया मांग वसूली अपेक्षित राशि	1631667
36	नगर पंचायत खरौद	2012–13	6	बकाया मांग वसूली अपेक्षित राशि	2275517
37	जनपद पंचायत कोटा	2012–13	15	ए0पी0एल राशन कार्ड छपाई पर की गई व्यय की वसूली शेष	102770
38	कृषि उपज मंडी समिति मुंगेली	2013–14	4	मंडी शुल्क बकाया	71777247
39	कृषि उपज मंडी समिति चांपा	2012–13	5	मंडी शुल्क बकाया राशि रूपय	17263702
40	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2013–14	7	मंडी शुल्क राशि वसूली अपेक्षित	21143152
41	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2013–14	9	विकास निधि (सड़क कृषि अनुसंधान) बकाया जमा अपेक्षित	6231919
42	कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा	2013–14	6	छ.ग.राज्य विपणन संघ से मंडी शुल्क की बकाया की वसूली अपेक्षित	54498160
43	कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा	2013–14	10	छ.ग.राज्य विपणन संघ से ब्याज की वसूली अपेक्षित	5004087
44	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2011–12	7	विभिन्न करों का बकाया	1671000
45	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2012–13	12	विभिन्न करों का बकाया	2313700
46	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	8	विभिन्न करों का बकाया	4152900
47	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	10	व्यावसायिक परिसर के घोष विक्रय का प्रीमियम बकाया	19412012
48	नगर पंचायत नारायणपुर	2012–13	9	विक्रय की प्रीमियम बकाया	1469500
49	नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव	2012–13	8	दुकान प्रीमियम बकाया	1620261
50	नगर पंचायत गीदम	2013–14	12	नया बस स्टेण्ड स्थित दुकानों का प्रीमियम बकाया	3596000

51	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2011–12	7	महाप्रबंधक राजहरा माइंस दल्लीराजहरा से संपत्तिकर वसूली योग्य	39054559
52	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2011–12	8	महाप्रबंधक राजहरामाइंस दल्लीराजहरा से समेकितकर वसूली योग्य	1631672
53	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2011–12	9	संपत्तिकर, समेकितकर बकाया	5232000
54	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2012–13	7	महाप्रबंधक राजहरा माइंस दल्लीराजहरा से संपत्तिकर वसूली अपेक्षित	43462374
55	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2012–13	8	महाप्रबंधक राजहरामाइंस दल्लीराजहरा से समेकितकर वसूली अपेक्षित	2177838
56	न.पा.परि. दल्लीराजहरा	2012–13	9	संपत्तिकर, समेकितकर बकाया	5795000
57	न.पा.परि. डोंगरगढ़	2012–13	6	विभिन्न करों की बकाया	10413000
58	न.पा.परि. डोंगरगढ़	2012–13	10	दुकान किराया का बकाया	1432000
59	न.पा.परि. डोंगरगढ़	2012–13	11	जलकर बकाया	3074000
60	न.पं. खैरागढ़	08–09 से 10–11	6	बकाया करों की वसूली अपेक्षित	1533000
61	न.पं. डोंगरगांव	2012–13	7	समेकितकर बकाया	2185941
62	न.पं. डोंगरगांव	2011–12	7	समेकितकर बकाया	2007893
63	न.पं. अहिवारा	2011–12	6	विविध कर बकाया	2736000
64	न.पं. अहिवारा	2012–13	6	विविध मांग बकाया	2652000
65	न.पं. थानखम्हरिया	2012–13	24	विविध मांग बकाया	1414155
66	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	9	कर बकाया	5915460
67	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	10	दुकान किराया बकाया	4366890
68	न.पा.नि. राजनांदगांव	2010–11	12	अटल आवास एवं बाम्बी आवास किराया बकाया	4141053
69	न.पा.नि. दुर्ग	2010–11	8	विभिन्न करों की मांग बकाया	25326422
70	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	9	विभिन्न करों की बकाया	153809895
71	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	10	बीएसपी प्रबंधन से निर्धारित संपत्तिकर से कम जमा	149675082
72	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	13	आकाशगंगा सब्जीमंडी में आबंटित चबूतरों का प्रब्याजी एवं किराया राशि वसूली हेतु शेष	19068296
73	न.पा.नि. भिलाई	2011–12	14	विभिन्न दुकानों की किराया बकाया	6614683
74	कृ.उ.मंडी बालोद	10–11 से 13–14	6	मंडी शुल्क बकाया	86640141
75	कृ.उ.मंडी बालोद	10–11 से	7	निराश्रित शुल्क बकाया	8671271

		13–14			
76	कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा	2012–13	8	मण्डी शुल्क बकाया वसूली अपेक्षित	14399002
77	ग्राम पंचायत डांगबुड़ा जनपद पंचायत मैनपाट	2012–13	9	राष्ट्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं की शेष राशि के व्यय अथवा वापसी आपेक्षित	108495
78	ग्राम पंचायत राजापुर जनपद पंचायत मैनपाट	2013–14	13	राष्ट्रीय जन कल्याणकारी योजनाओं की शेष राशि के व्यय अथवा वापसी आपेक्षित	110069

15. दायित्व निर्वहन में शिथिलता :-

प्रतिवेदनाधीन अवधि में संपरीक्षा के दौरान प्रकाश में आया कि स्थानीय निकायों द्वारा दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरती जा रही है । जिससे निकायों के दायित्व में सतत् वृद्धि होती जा रही है । दायित्व निर्वहन में शिथिलता से संबंधित उदाहरण निम्नानुसार है :-

क	निकाय का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि रू
1	नगर पालिका परिषद बलौदाबाजार	08–09 से 09–10	30	रायल्टी जमा का अभाव	1375876
2	नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा	2010–11	29	रायल्टी कटौती उपरांत शासकीय कोष में जमा न किया जाना	761835
3	नगर पंचायत मगरलोड	2011–12	08	आयकर जमा का अभाव	311252
4	नगर पंचायत मगरलोड	2012–13	08	आयकर जमा का अभाव	449616
5	नगर पंचायत मगरलोड	2012–13	09	वणिज्यकर जमा का अभाव	374180
6	नगर पंचायत मगरलोड	2012–13	10	रायल्टी जमा अपेक्षित	493175
7	नगर पंचायत आमदी	2010–11	09	आयकर एवं वाणिज्य कर की राशि शासन काष में जमा वांछित	2227961
8	नगर पंचायत आमदी	2011–12	10	आयकर/वाणिज्य कर जमा वांछित	618060
9	नगर पंचायत लवन	09–10 से 10–11	21	आयकर शासकीय कोष में जमा का अभाव	332865
10	नगर पंचायत लवन	09–10 से 10–11	22	वाणिज्य कर शासकीय कोष में जमा का अभाव	304192
11	नगर पंचायत मानाकैम्प	2013–14	28	रायल्टी जमा का अभाव	213951
12	नगर पंचायत सरायपाली	09–10 से 10–11	52	वाणिज्य कर कटौती का अभाव	129883
13	नगर पंचायत सरगांव	2013–14	30	अर्थ वर्ष 2013–14 में काटे टेक्स व रायल्टी को शासकीय कोष में जमा न किये जाना	281339
14	नगर पंचायत बारसूर	2011–12	41	वेट कटौती का अभाव	420000

15	नगर पंचायत बारसूर	2012–13	37	वेट कटौती का अभाव	513000
16	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2012–13	26	लेबर उपकर कटौती का अभाव	171530
17	नगर पंचायत नारायणपुर	2012–13	32	वेट कटौती का अभाव	239520
18	नगर पंचायत बीजापुर	2010–11	26	वेट कटौती का अभाव	192000
19	नगर पंचायत बीजापुर	2011–12	36	वेट कटौती का अभाव	88000
20	नगर पंचायत बीजापुर	2012–13	33	वेट कटौती का अभाव	140000
21	नगर पालिका परिषद् कोण्डागांव	2012–13	24	वेट कटौती का अभाव	680896
22	नगर पंचायत बस्तर	2013–14	24	वेट जमा का अभाव	464096
23	ग्राम पंचायत दहीकोंगा जनपद पंचायत कोण्डागांव	2011–12	6	वेट कटौती का अभाव	100022
24	ग्राम पंचायत श्रीगुहान जनपद पंचायत नरहरपुर	2013–14	10	वेट कटौती का अभाव	83536
25	ग्राम पंचायत मुसुरपुट्टा जनपद पंचायत नरहरपुर	2013–14	13	वेट कटौती का अभाव	83380
26	जनपद पंचायत माकड़ी	2011–12	25	वेट कटौती का अभाव	81822
27	जनपद पंचायत माकड़ी	2012–13	24	वेट कटौती का अभाव	82236
28	कृ.उ.मंडी बालोद	10–11 से 13–14	8	किसान सड़क निधि की राशि प्रेषित न किया जाना	426476
29	कृ.उ.मंडी बालोद	10–11 से 13–14	9	बोर्ड शुल्क की राशि जमा न किया जाना	592317
30	पं.शिवकुमार शास्त्री कृषि महा. राजनांदगांव	2013–14	8	शिक्षण शुल्क की वि.वि. में जमा योग्य राशि	242146
31	नगर पंचायत–लैलुंगा, जिला–रायगढ़	2010–11	25	ठेकेदारों के देयक से कटौती की गई रायल्टी, आयकर एवं वाणिज्य कर निर्धारित मद में जमा नहीं किया जाना	272117
32	नगर पंचायत–लैलुंगा, जिला–रायगढ़	2011–12	29	ठेकेदार के देयक से कटौती की गई रायल्टी, आयकर, एवं वाणिज्य कर निर्धारित मद में जमा नहीं कराया जाना	121192
33	नगर पंचायत–पुसौर, जिला–रायगढ़	2010–11	32	आयकर जमा हेतु बकाया	88910
34	नगर पंचायत–पुसौर, जिला–रायगढ़	2011–12	19	मूल्य संवर्धित कर कम दर से वसुल किये जाने से अधिक भुगतान	111563
35	कृषि उपज मंडी समिति कटघोरा	2012–13	10	बोर्ड शुल्क पेंशन निधि विकास निधि जमा हेतु शेष	1924356

16. ग्राम पंचायतों के संबंध में विशेष :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में 204 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 751 वर्षो के अंकेक्षण किया गया एवं वर्ष 2014-15 (31 दिसम्बर 2014 तक) में 208 ग्राम पंचायतों के कुल लेखा वर्ष 574 वर्षो के अंकेक्षण किया गया।

स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण प्रारंभ किये जाने के बाद प्राय: प्रतिवेदनों में आपत्तियां दृष्टिगत हुई कि भूतपूर्व सरपंच/पदाधिकारियों द्वारा नगद राशि अनियमित रूप से रखा जाना तथा वर्तमान सरपंच द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 के नियम 18 अनुसार नगद सिलक की निर्धारित सीमा रू 2500 से अधिक रखा जाना पाया गया है । प्रभार हस्तांतरण में नगद राशि हस्तांतरित नहीं किये जाने एवं निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखे जाने से दुर्विनियोजन की प्रबल संभावना होती है । इस प्रकार की आपत्तियां एवं ग्राम पंचायतों के अंकेक्षण में प्रकाश में आई अन्य महत्वपूर्ण अनियमितताओं की जानकारी निम्नानुसार है :-

क.	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष	कंडिका कमांक	अंकेक्षण आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	सन्निहित राशि रू
1	ग्राम पंचायत बेलरगांव जनपद पंचायत नगरी जिला-धमतरी	2013-14	04	बकाया कर	267703
2	ग्राम पंचायत बेलरगांव जनपद पंचायत नगरी जिला-धमतरी	2013-14	06	बाजार नीलामी बकाया	100000
3	ग्राम पंचायत बेलरगांव जनपद पंचायत नगरी जिला-धमतरी	2013-14	07	बाजार नीलामी में अनुबंध का अभाव	140655
4	ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत नगरी जिला-धमतरी	2010-11 से 11-12	15	कर बकाया	385099
5	ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत नगरी जिला-धमतरी	2012-13	15	कर बकाया	683400
6	ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत नगरी जिला-धमतरी	2013-14	15	कर बकाया	702492
7	ग्राम पंचायत भगतदेवरी जनपद पंचायत पिथौरा जिला-महासमुन्द	2003-04 से 10-11	04	राष्ट्रीय पर्व पर अनियमित व्यय	41000
8	ग्राम पंचायत भगतदेवरी जनपद पंचायत पिथौरा जिला-महासमुन्द	2003-04 से 10-11	05	रायल्टी कटौती का अभाव	96510
9	ग्राम पंचायत जामगांव जनपद पंचायत फिंगेश्वर	2008-09 से 10-11	24	वाणिज्य कर कटौती का अभाव	2386787

	जिला–रायपुर				
10	ग्रा.पं. जरवाही डोंगरगांव	04–05 से 10–11	9	न्यूनतम दर के बिना क्रय अनियमित	92542
11	ग्रा.पं. जरवाही डोंगरगांव	11–12	6	निर्माण कार्यों में आबंटन से अधिक व्यय	561600
12	ग्रा.पं. जरवाही डोंगरगांव	12–13	7	सामाजिक कल्याण योजनाओं में प्राप्त आबंटन का दुरूपयोग	72825
13	ग्रा.पं. जरवाही डोंगरगांव	12–13	9	बिना न्यूनतम दर के क्रय अनियमित	473564
14	ग्रा.पं. गुरेदा़ गुण्डरदेही	13–14	6	भंडार क्रय नियम 9 के पालन का अभाव में राशि का दुरूपयोग	742622
15	ग्रा.पं. बेवरा नवागढ़	08–09 से 10–11	10	मंगलभवन जुनवानी कला के प्रथम किस्त की राशि का सामग्री का अनियमित व संदिग्ध भुगतान	139817
16	ग्रा.पं. घोघरा नवागढ	12–13	13	बिना सक्षम स्वीकृति के आबंटन से अधिक व्यय	92600
17	ग्रा.पं. कोलिहापुरी दुर्ग़	07–08 से 10–11	7	निर्माण कार्य संबंधी अनियमितता	249248
18	ग्रा.पं. कोलिहापुरी दुर्ग़	12–13	8	प्रमाणक अनुपलब्ध	398794
19	ग्रा.पं. कोलिहापुरी दुर्ग़	12–13	10	पावती के अभाव में भुगतान सत्यापन नहीं	470174
20	ग्रा.पं. कोलिहापुरी दुर्ग़	12–13	13	उत्कर्ष राशि का सामुदायिक भवन निर्माण में अनियमित व्यय	210000
21	ग्रा.पं. गोरकापार गुण्डरदेही	13–14	10	आबंटन से अधिक व्यय	283885
22	ग्रा.पं. पोटिया धमधा	12–13	20	प्राप्त आबंटन से अधिक व्यय	618533
23	ग्रा.पं. भाठागांव(आर) गुण्डरदेही	13–14	21	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	131876
24	ग्रा.पं. फरदफोड़ डौण्डीलोहारा	13–14	9	जनसमस्या निवारण शिविर पर अनियिमित व्यय	85103
25	ग्रा.पं. माटरा धमधा,	12–13	7	तेरहवें वित्त आयोग की राशि बाधित	407947
26	ग्रा.पं. माटरा, धमधा,	13–14	7	तेरहवें वित्त आयोग की राशि बाधित	497497
27	ग्रा.पं. तवेरा गुण्डरदेही	12–13	5	विभिन्न करों की बकाया वसूली अपेक्षित	70638

28	ग्रा.पं. तवेरा गुण्डरदेही	13–14	7	बर्हिगामी सरपंच द्वारा नगद राशि प्रभार में नहीं दिया जाना अनियमित	91485
29	ग्रा.पं. धनेली गुरूर	12–13	3	करों की मांग वसूली का अभाव	44310
30	ग्रा.पं. धनेली गुरूर	13–14	4	बैंक समाधान तैयार नहीं किया जाना	207307
31	ग्रा.पं. धनेली गुरूर	13–14	9	करों की मांग वसूली का अभाव	90340
32	ग्रा.पं. कोलिहामार गुरूर	12–13	10	करों की मांग वसूली का अभाव	135321
33	ग्रा.पं. कोलिहामार गुरूर	12–13	12	निर्माण कार्यों में संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं	1632496
34	ग्रा.पं. कोलिहामार गुरूर	13–14	9	करों की बकाया मांग वसूली वांछित	164087
35	ग्रा.पं. तिलोदा गुण्डरदेही	12–13	6	भंडार क्रय नियम के पालन का अभाव	3009380
36	ग्रा.पं.डौकीडीह गुण्डरदेही	13–14	18	अनुदान से अधिक व्यय	132000
37	ग्रा.पं. भूलनडबरी गुरूर	13–14	12	निर्माण कार्यो से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं भुगतान आक्षेपित	2107843
38	ग्राम पंचायत–कसईपाली, ज.पं.–कटघोरा	2012–13	11	निजी शिक्षण संस्था में ग्राम पंचायत निधि का व्यय अनियमित	130000
39	ग्राम पंचायत–कसईपाली, ज.पं.–कटघोरा	2013–14	4	निर्धारित सीमा से अधिक नगद रखा जाना अनियमित	168508
40	ग्राम पंचायत–कसईपाली, ज.पं.–कटघोरा	2013–14	9	एक ही व्यापारी से सामाग्री क्रय होने से निधि का संभवित दुरुपयोग	273600
41	ग्राम पंचायत–घुमरा, ज.पं. –फरसाबहार	2012–13	8	निविदायें (भावपत्र) आमंत्रित किये बिना सामाग्री तथा मालक्रय एवं स्कंध पंजी संधारण का अभाव	2338200
42	ग्राम पंचायत–सीमाबारी, ज.पं.–फरसाबहार	2012–13	8	निविदायें (भावपत्र) आमंत्रित किये बिना सामाग्री तथा मालक्रय एवं स्कंध पंजी संधारण का अभाव	1669550
43	ग्राम पंचायत–कसईपाली, ज.पं.–कटघोरा	2012–13	8	बी.आर.जी.एफ. अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक भवन निर्माण कार्य में पाई गई	330000

				अनियमितता	
44	ग्राम पंचायत–कसईपाली, ज.पं.–कटघोरा	2012–13	9	महिला प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण में अनियमितता राशि	492484
45	ग्राम पंचायत–कसईपाली, ज.पं.–कटघोरा	2012–13	12	मूलभूत योजना मद से निर्माण कार्यो का सत्यापन नहीं राशि	131383
46	ग्राम पंचायत–कसईपाली, ज.पं.–कटघोरा	2013–14	8	मूलभूत योजना मद से निर्माण कार्यो का सत्यापन नहीं राशि	406432
47	ग्राम पंचायत–छुरीखुर्द, ज. पं.–कटघोरा	2012–13	10	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो में दर्शित अनियमितता	163391
48	ग्राम पंचायत–छुरीखुर्द, ज. पं.–कटघोरा	2013–14	9	मुक्तिधाम निर्माण कार्य का मूल्यांकन नही होने से संभावित दुरुपयोग	100000
49	ग्राम पंचायत–छुरीखुर्द, ज. पं.–कटघोरा	2013–14	10	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो में दर्शित अनियमितता	310042
50	ग्राम पंचायत–धनरास, ज. पं.–कटघोरा	2013–14	9	निर्माण कार्यो का कार्य मुल्यांकन नहीं होने से ग्राम पंचायत निधि का संभावित दुरुपयोग	750000

17. राजस्व मांग वसूली :–

विभाग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष 2013–14 में संपरीक्षित निकायों में करों एवं शुल्कों की मांग वसूली विभिन्न संपरीक्षित वर्षो तथा संस्थाओं में उपलब्ध जानकारी अनुसार वर्ष 2013–14 में राशि रू 660694541.00 तथा वर्ष 2014–15 में राशि रू 452483583.00 (31.12.2014 तक) वसूली हेतु शेष थी ।

18. अग्रिम :–

अ. वित्तीय वर्ष 2013–14 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू 349180692.00 का अग्रिम समायोजन/वसूली हेतु रहा।

ब. वित्तीय वर्ष 2014–15 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू 229989657.00 समायोजन/वसूली हेतु शेष है ।

वित्तीय नियमों का समुचित पालन नहीं किये जाने से अग्रिमों का समायोजन होना नहीं पाया गया। विभिन्न निकायों कें विभिन्न वर्षो में अधिकारी/कर्मचारी/अन्य संस्थाओं की ओर समायोजन हेतु शेष अग्रिम के उदाहरण निम्नानुसार है :–

क्र.	निकाय का नाम	वर्ष	समायोजन हेतु शेष राशि रू
1	नगर पालिका परिषद मुंगेली	2011–2012	105000
2	नगर पालिका परिषद सक्ती	2011–12	303700
3	नगर पालिका परिषद सक्ती	2012–13	546000
4	नगर पालिका परिषद जांजगीर–नैला	2012–13	267550
5	नगर पंचायत सरगांव	2012–13	750000
6	नगर पंचायत सरगांव	2013–14	150000
7	नगर पंचायत बाराद्वार	2012–13	216000
8	नगर पंचायत खरौद	2012–13	90000
9	नगर पंचायत खरौद	2011–12	43500
10	नगर पंचायत नवागढ़	2013–14	400000
11	जनपद पंचायत पथरिया	2013–14	136000
12	जनपद पंचायत कोटा	2012–13	110000
13	जनपद पंचायत मरवाही	2012–13	89991
14	जनपद पंचायत बिल्हा	2012–13	74500
15	कृषि उपज मंडी समिति कोटा	2013–14	22000
16	कृषि उपज मंडी समिति कोटा	2012–13	37200
17	कृषि उपज मंडी समिति जैजैपुर	2013–14	68200
18	कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा	2013–14	52000
19	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	10–11 से 11–12	3000000
20	पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय	10–11 से 11–12	9218971
21	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	98–99 से 12–13	45000
22	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	98–99 से 12–13	32000
23	जवाहर लाल नेहरु उपाधि महाविद्यालय सक्ती	98–99 से 12–13	540000
24	नगर पंचायत बारसूर	2011–12	162800
25	नगर पंचायत बारसूर	2012–13	2001800
26	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2011–12	132000
27	नगर पंचायत भानुप्रतापपुर	2012–13	157000
28	नगर पालिका परिषद् कांकेर	2012–13	82000
29	नगर पंचायत बीजापुर	2010–11	2050000
30	नगर पंचायत बीजापुर	2011–12	1640000
31	नगर पंचायत, बीजापुर	2012–13	8977000
32	नगर पंचायत, बीजापुर	2013–14	4330000
33	नगर पालिका कोण्डागांव	2012–13	21416000
34	नगर पंचायत बस्तर	2013–14	2040000

35	नगर पंचायत गीदम	2013-14	133930
36	बस्तर विश्व विद्यालय	11-12 से 12-13	10204721
37	जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा	2011-12	310000
38	जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा	2012-13	30000
39	जनपद पंचायत माकड़ी	2011-12	74200
40	नगर पंचायत-लैलुंगा, जिला-रायगढ़	2010-11	30000
41	नगर पंचायत-पुसौर, जिला-रायगढ़	2011-12	1189750
42	नगर पंचायत-किरोड़ीमल नगर, जिला-रायगढ़	2011-12	104000
43	जिला पंचायत कोरबा	08-09 से 10-11	322000
44	जनपद पंचायत कोरबा	2010-11	117050
45	जनपद पंचायत कोरबा (मनरेगा)	2010-11	62600
46	जनपद पंचायत सोनहत जिला-कोरिया	04-05 से 07-08	98157
47	जनपद पंचायत मैनपाट जिला-सरगुजा	2012-13	40000
48	सरगुजा विश्वविधालय अम्बिकापुर	2011-12	7912758

19. ऋण :-

अ. वित्तीय वर्ष 2013-14 की स्थिति में विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू 829222240.00 का ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष था।

ब. वित्तीय वर्ष 2014-15 की स्थिति में (31.12.2014 तक) विभिन्न अंकेक्षित निकायों में कुल राशि रू 5597180572.00 ऋण पुनर्भुगतान हेतु शेष है ।

20. अनुदान :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों को शासन/विभिन्न संस्थाओं से विभिन्न प्रयोजनों हेतु प्राप्त अनुदान में से कुल राशि रू 8629214638.00 अवशेष होना पाया गया । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.13 से 31.12.2013) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर को कुल राशि रू 5,71,80,63,397.00 का अनुदान अवशेष होना पाया गया।

21. निक्षेप :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रू 589063139. 00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 (दिनांक 01.04.13 से 31.12. 2013) में विभिन्न अंकेक्षित निकायों की ओर कुल राशि रू 87665115.00 का निक्षेप वापसी योग्य पाया गया ।

22. संचालक का प्रतिवेदन :-

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्थानीय नगरीय निकायों एवं पंचायत राज संस्थाओं में हुए वित्तीय संव्यवहारों से संबंधित संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन, छ.ग. शासन दिनांक 17.12.2014 को सदन के पटल पर रखा गया। जिसमें स्थानीय नगरीय निकायों के 840 अंकेक्षण आपत्तियों में राशि रू 272.,25 करोड़ तथा पंचायत राज संस्थाओं में 1748 आपत्तियों में राशि रू 527.10 करोड़ समाहित है ।

भाग – दो

बजट :–

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये राशि रू 19.487 करोड़ आबंटित किया गया। आबंटित बजट में से दिनांक 31.12.2014 तक कुल राशि रू 8.658 करोड़ व्यय हुआ है ।

भाग – तीन

1. निरीक्षण :–

संचालनालय के अधीन स्थानीय निकायों में पश्चातवर्ती संपरीक्षा दल के कार्यो का समय–समय पर सहायक संचालक द्वारा निरीक्षण पर्यवेक्षण किया जाता है । इसके अतिरिक्त संचालक के निर्देशन में गठित निरीक्षण दल द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है ।

2. पर्यवेक्षण :–

प्रतिवेदनाधीन वर्ष में विभिन्न स्तरीय निकायों की विभिन्न वर्षो की लेखाओं की संपरीक्षा की गई तथा जिसमें से अधिकांशत: निकायों का विभागीय अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया ।

3. अंकेक्षण के दौरान वसूली :–

स्थानीय निकायों में संपरीक्षा के दौरान पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों को प्रकाश में लाते हुए अंकेक्षण द्वारा उत्तरदायी पदाधिकारियों से कुल राशि रू 7760610.00 की वसूली की जाकर निकाय निधि में जमा कराई गई।

-----000----

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

भाग–1

संचालनालय के गठन का उद्देश्य :–

छत्तीसगढ़ राज्य के बैंको के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलाई जा रही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, राज्य का वित्तीय एजेंसियों के साथ समन्वय तथा राज्य में संस्थागत वित्त का अधिकाधिक प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त संचालनालय की स्थापना की गई है । तद्नुसार संचालनालय को निम्नांकित दायित्व सौंपे गये :–

1. बैंकिग कार्यकलापों का विस्तार तथा बैंको को विकासमूलक कार्यक्रम के संपादन में आने वाली बाधाओं/समस्याओं का निराकरण करना।
2. बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं के योगदान से संबंधित राज्य और जिला स्तर समन्वय समितियों तथा सलाहकार समिति से जुडे कार्य।
3. जिला एवं राज्य स्तरीय ऋण योजना, ऋण देने की प्रणाली एवं गति में सुधार संबंधित कार्य।
4. बैंकों में शासकीय जमा हेतु बैंकों के इम्पैनलमैन्ट संबंधी कार्य।
5. Public Expenditure Tracking System - Management Information System (PETS MIS) के अंतर्गत इम्पैनल बैंकों से प्राप्त शासकीय जमा के आंकड़ों का संकलन।
6. विदेशी सहायता प्राप्ति एवं तत्संबंधी परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं अभिलेख इत्यादि का संधारण कार्य।
7. भारत सरकार, राज्य शासन, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित योजनाओं तथा निर्देशावली के क्रियान्वयन।
8. इस वर्ष प्रधानमंत्री जन–धन योजना के क्रियान्वयन हेतु सहायता प्रदान करना।

राज्य शासन की विकास नीतियों को मूर्त रूप देने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के उद्देश्य से भारत शासन के माध्यम से विदेशी सहायता भी प्राप्त की जाती है । चूँकि विदेशी सहायता की राशि भारत शासन के माध्यम से राज्य शासन की अतिरिक्त योजना संसाधन के रूप में प्राप्त होती है, संचालनालय का यह प्रयास रहा कि भारत सरकार को अधिक से अधिक विकास परियोजनाएं विदेशी सहायता हेतु प्रेषित की जाए, जिससे राज्य की विकास गति को अपेक्षा अनुसार वित्तीय समर्थन मिलता रहै । संचालनालय द्वारा ऐसी विदेशी संस्थाओं से सहायता ली जाती है, जिसका ऋण दर कम हो तथा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त हो।

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 57 लाख परिवारों में से 56.6 लाख (99.3%) परिवारों के खाते खोले गये है । (जनवरी, 2015 के अंत की स्थिति)। बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहां 41,000 परिवारों के खाते खोले जाने शेष है । (पांच जिलों में)।

संचालनालय का आशासकीय ढ़ाँचा–

उपरोक्त दायित्वों एवं कार्यो के संपादन एवं निर्वहन के लिये स्थापित संस्थागत वित्त संचालनालय के अधीन राज्य स्तर पर अमला स्वीकृत है पर कोई क्षेत्रीय अथवा मैदानी अमला नहीं है ।

संचालनालय के अमले में निम्नलिखित सेटअप की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रवर श्रेणी वेतनमान	01	-	01
2.	अतिरिक्त संचालक	37400-67000+Gr.Pay 8700	01	01	-
3.	संयुक्त संचालक	15600-39100+Gr.Pay 7600	01	01	-
4.	प्रोग्रामर सह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	15600-39100+Gr.Pay 5400	01	-	01
5.	सहायक साँख्यिकी अधिकारी	9300-34800 +Gr.Pay 4300	01	01	-
6.	स्टेनोग्राफर वर्ग-2	9300-34800 +Gr.Pay 4300	01	01	-
7.	स्टेनोग्राफर वर्ग-3	5200-20200 +Gr.Pay 2800	01	01	-
8.	लेखापाल	5200-20200 +Gr.Pay 2400	01	01	-
9.	सहायक वर्ग-2	5200-20200 +Gr.Pay 2400	01	-	01
10.	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	5200-20200 +Gr.Pay 2400	03	03	-
11.	सहायक ग्रेड-3	5200-20200 +Gr.Pay 1900	02	01	01
12.	वाहन चालक	5200-20200 +Gr.Pay 1900	02	02	-
13.	भृत्य	4750-7440 +Gr.Pay 1300	02	02	-
14.	फर्राश	कलेक्टर दर पर	01	-	01
15.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	01	-	01
	योग-		**20**	**14**	**06**

भारतीय रिजर्व बैंक से आतिनियुक्त अधिकारी, अपर संचालक के पद पर पदस्थ है । तथा वर्तमान में संचालक के पद पर कार्यरत है । स्टेनोग्राफर वर्ग-3, लेखापाल तथा भृत्य के पद संविदा नियुक्ति से भरे गये है ।

भाग-2

<u>बजट प्रावधान एवं व्यय</u>

<u>अ.</u>

2052-सचिवालय सामान्य सेवायें

(091)-संबंद्व कार्यालय

4296-संचालनालय संस्थागत वित्त

- **विभागीय उपलब्ध बजट**

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि #01	59.35	31.42	27.93
02	मजदूरी प्रशिक्षण #02	1.80	.	1.80

03	यात्रा भत्ता #03	6.60	3.50	3.10
04	कार्यालय व्यय #04	16.85	11.28	5.57
05	प्रशिक्षण #05	1.00	0.37	0.63
06	व्यवसायिक सेवाओं #10 हेतु अदायगियां	1.00	0.09	0.91
07	अनुरक्षण पर व्यय #24	1.00	0.54	0.46
	योग–	87.0	47.20	40.40

ब.

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
2435–अन्य कृषि कार्यक्रम

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज–0101–5628	25,00.00	9,22.69	15,77.31

स.

06–2435–अन्य कृषि कार्यक्रम
60–अन्य
101–किसानों के लिए ऋण राहत योजना
0101–राज्य आयोजना (सामान्य)
8671–लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना
13–आर्थिक सहायता
001प्रत्यक्ष सहायता

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी योजना	1,00.00	0.00	1,00.00

- यूरोपियन कमीशन – राज्य साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध बजट

2052–सचिवालय सामान्य सेवायें
(091)–संबंद्व कार्यालय
4296–संचालनालय संस्थागत वित्त
6725–यूरोपियन कमीशन

(आंकडे लाख रू. में) (31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में)

क्रमांक	बजट शीर्ष	आाप्त आबंटन	व्यय	शेष
01	वेतन भत्ते आदि # 01	10.00	2.76	7.24
02	यात्रा भत्ता # 03	5.00	.	5.00
03	कार्यालय व्यय # 04.009 सूचना	5.00	0.78	4.22

	आौद्योगिकी			
04	**प्रशिक्षण # 05.001 अधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण**	**1.00**	**0.05**	**0.95**
05	**अनुरक्षण कार्य #24**	**1.00**	**0.00**	**1.00**
	योग	**22.00**	**3.59**	**18.41**

भाग–3

संचालनालय के कार्यकलाप एवं गतिविधियाँ :–

1. संचालनालय के सफल आयास से बैंकों के कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है । दिसम्बर, 2014 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,137, अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 691 एवं शहरी क्षेत्रों में 633 कुल 2,461 बैंक शाखा कार्यरत रही है । बैंको को साख जमा अनुपात का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 60: के विरूद्ध दिसम्बर, 2014 में 66.86% हुआ है । राज्य में प्राथमिक क्षेत्रों में साख की दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 40% के विरूद्ध दिसम्बर, 2014 में 44.68% हो गया है । कृषि ऋण (अग्रिम) कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 18% के विरूद्ध दिसम्बर, 2014 में 15.47% हुआ है । कृषि क्षेत्र में कुल अग्रिम दिसम्बर, 2013 में रु 8,719.33 करोड़ के विरूद्व दिसम्बर, 2014 में रु 10,256.77 करोड़ हुआ है । यह वृद्वि 17. 63% है । सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्षेत्र में कुल अग्रिम दिसम्बर, 2013 में रु 1,1255.25 करोड़ के विरूद्ध दिसम्बर, 2014 में रु 13,732.32 करोड हुआ है, जो कि 22.01% अधिक है । कमजोर क्षेत्र को अग्रिम का कुल साख का प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय बैंचमार्क 10% के विरूद्ध दिसम्बर, 2014 में 12.43% है ।
2. अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत् प्रदेश के 27 जिले विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों को आबंटित किए गए है ।। अग्रणी बैंक का प्रमुख उत्तरदायित्व जिले की साख योजनाओं को तैयार कर कार्यान्वित करना एवं बैंक तथा जिला प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना है । जिला स्तर पर साख संबंधी योजना तैयार करने का कार्य को सुगम बनाने के लिये राज्य स्तर पर विभिन्न योजनाओं का कियान्वयन करने वाली शासकीय विभागों के साथ समन्वय कर आगामी वर्ष की साख योजना के लिये दस्तावेज तैयार करने का प्रयास किया जाता है । शासन प्रायोजित योजनाओं के अंर्तगत लक्ष्य प्राप्ति हेतु बैंकों के साथ अनुश्रवण कर वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाता है । संचालनालय द्वारा स्टेट क्रेडिट प्लान 2014–15 तैयार किया गया है, जिसमें योजनावार एवं जिलावार भौतिक, वित्तीय लक्ष्य एवं अनुदान की राशि का समावेश किया गया है ।

भाग–4

बैंक वसूली आोत्साहन योजना आकोष्ठ (ब्रिस्क) का क्रियान्वयन :–

शासन आायोजित योजनाओं के अंर्तगत् व्यावसायिक बैंको एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रदत्त ऋणों के अतिदेय राशियों की वसूली हेतु सहायता करने में राज्य शासन भरसक प्रयत्नशील है । इस दिशा में राज्य शासन वसूली हेतु अपने प्रशासनिक तंत्र (राजस्व अमला) की सुविधा उपलब्ध कराती है । ब्रिस्क योजना के अंर्तगत् पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य को रु. 12,83,629.00 बंटवारे में प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से दिसम्बर, 2014 की स्थिति में ब्रिस्क खाते में रु. 22,57,039.92 जमा है ।

भाग–5

संचालनालय संस्थागत वित्त, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ अमले की जानकारी :–

क्र.	नाम	पदनाम	रिमार्क
1.	श्री आकाश सोलंकी	अतिरिक्त संचालक (आभारी संचालक)	
2.	श्री सीताराम साहू	संयुक्त संचालक	
3.	श्री सूर्यकांत साहू	सहायक सांख्यकी अधिकारी	
4.	श्री आर.सी. खरे	स्टेनोग्राफर वर्ग–2	
5.	श्री जगदीश प्रसाद देवांगन	लेखापाल	
6.	श्रीमती पायल यादव	स्टेनोग्राफर वर्ग–3	
7.	श्री संजय कुमार श्रेय	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	
8.	श्री मुकेश कुमार	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	
9.	श्री घनश्याम आसाद सिन्हा	डाटाएन्ट्री ऑपरेटर	
10.	श्री सत्यवीर सिंह राठौर	सहायक ग्रेड–3	
11.	श्री विजय कुमार मिश्रा	वाहन चालक	
12.	श्री रामफल निषाद	वाहन चालक	
13.	श्री बैशाखू राम कोराम	भृत्य	
14.	श्री भूषण लाल धर्मा	भृत्य	

यूरोपरियन कमिशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट

1.	श्रीमती नेहा तलवार	प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर्सनल	यूरोपरियन कमिशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत पदस्थ

यूरोपरियन कमिशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट के अंतर्गत अन्य अनुमोदित पद प्रोग्रामर, मानिटरिंग पर्सनल एवं ऑफिस कोऑर्डिनेटर के है, जो रिक्त है ।

————000————

संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

सामान्य जानकारी :-

छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज विभाग संचालित है । प्रमुख कार्य अल्प बचत योजनाओं को राज्य में बढ़ावा देना है ।

अल्प बचत योजनाएँ :-

1. किसान विकास पत्र
2. राष्ट्रीय बचत पत्र आठवां निर्गम
3. मासिक आय योजना
4. सावधि जमा योजना
5. डाकघर बचत खाता
6. पंच वर्षीय आवर्ती जमा योजना
7. वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना
8. लोक भविष्य निधि खाता में जमा की सीमा में डेढ लाख की वृद्धि कर दी गई है।

उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एस.ए.एस. एजेंट ए.पी.के.वी.वाय एजेंटो की नियुक्ति एवं पी.पी.एफ. एजेंटों की नियुक्ति संबंधी कार्य संचालनालय की देखरेख में जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2014-15 में लक्ष्य 260 करोड़ प्रस्तावित किया गया था जिसके विरूद्ध अल्प बचत शुद्ध संग्रहण माह दिसम्बर, 2014 तक 179 करोड़ प्राप्त हुआ है ।

-----**000**-----

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर

संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छ.ग. कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ राज्य में दिनांक 13 अगस्त, 2001 को किया गया था। वित्त विभाग के अंतर्गत गठित इस कार्यालय द्वारा राज्य शासन के वित्तीय प्रबंध एवं वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्य संपादित किये जाते है ।

वर्ष 2014-15 में कार्यालय की गतिविधियां:-

वर्ष 2014-15 का बजट अनुमान तथा प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2014-15 संकलित कर निर्धारित प्रारुप में तैयार कर विधानसभा में प्रस्तुत किया गया तथा वर्ष 2014-15 का तृतीय अनुपूरक अनुमान तथा वर्ष 2015-16 का मुख्य बजट अनुमान का संकलन कार्य प्रगति पर है ।

संगठनात्मक ढांचा:-

संचालनालय हेतु निम्नलिखित पद संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्र.	पद	श्रेणी/संवर्ग	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1.	संचालक	भारतीय प्रशासनिक सेवा	पदेन	-	
2.	संयुक्त संचालक (राज्य वित्त सेवा)	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	7600
3.	उप संचालक, वित्त	प्रथम श्रेणी	01	15600-39100	6600
4.	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
5.	प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	01	15600-39100	5400
6.	सहायक लेखा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	02	9300-34800	4300
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4300
8.	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	01	9300-34800	4200
9.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	04	5200-20200	2400
10.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
11.	स्टेनोग्राफर हिन्दी	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2800
12.	सहायक ग्रेड-02	तृतीय श्रेणी	01	5200-20200	2400
13.	सहायक ग्रेड-03	तृतीय श्रेणी	03	5200-20200	1900
14.	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	02	5200-20200	1900
15.	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	03	4750-7400	1300

बजट आबंटन तथा व्यय (वित्तीय वर्ष 2014-15)
31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में

(राशि रू. हजार में)

क्रमांक	**मुख्य शीर्ष**	**योजना क्रमांक**	**योजना का नाम**	**बजट आबंटन**	**वास्तविक व्यय**
1	2052	4295	संचालनालय, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली	1,12,32,000	34,79,617
2	2052	6725	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम	61,000	निरंक
	योग			**1,12,93,000**	**34,79,617**

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 979/850/2014/स्था./चार, दिनांक 28.06.2014 द्वारा 06-2052-091-4295-04-009 मद से 06-2054-097-2026-04-009 में रू 2,00,00,000 पुनर्विनियोजन करने की स्वीकृति दी गई है ।

- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत वर्ष 2014 में प्राप्त प्रकरणों के क्रियान्वयन की जानकारी

प्राप्त आवेदन पत्र	**निराकृत**	**अस्वीकृत**
निरंक	निरंक	निरंक

-----000-----

छत्तीसगढ़ इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

सामान्य जानकारी

(1) गठन का उद्देश्य :-

सी.आई.डी.सी. का गठन, कम्पनी अधिनियम के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अंतर्गत 26 फरवरी, 2001 को किया गया था । इसे अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र 28 मार्च, 2001 को प्राप्त हुआ । शासन द्वारा इसकी अधिकृत अंशपूंजी `10.00 करोड़ रखी गयी है । मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के अनुसार इस कार्पोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :-

यह निगम राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास एवं उसके लिये निजी पूंजी निवेश के समन्वय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सलाहकार व नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा राज्य में सभी प्रकार की अधोसंरचना विकास परियोजनाओं हेतु नीति के निर्धारण, संवर्धन, विकास क्रियान्वयन, निर्माण संचालन, रखरखाव, प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रवर्तक, सलाहकार, प्रयोजक व प्रबंधन सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा ।

(2) संगठनाात्मक ढॉचा :-

सी.आई.डी.सी. में निम्नानुसार अमला कार्यरत् है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1.	प्रबंध संचालक	1	1
2.	मुख्य महाप्रबंधक	2	1
3	प्रबंधक	2	-
4.	प्रबंधक (लेखा)	1	1
5.	स्टेनोग्राफर	6	2
6.	रिसेप्सनिस्ट	2	-

(3) क्रियाकलाप :-

सी.आई.डी.सी. द्वारा वर्ष 2003 से विघटित मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के परिसमापन एवं पुनर्वास का कार्य किया जा रहा है । पुनर्वास प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनॉक 01.01.2015 की स्थिति में 1197 कर्मियों को विभिन्न विभागों/निगमों/मंडलों में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हैं एवं शेष 64 कर्मी परिसमापन संबंधी कार्य कर रहे हैं।

(4) बजट प्रावधान एवं व्यय

(अ) सी.आई.डी.सी. को वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रावधानित राशि `30.00 लाख के विरूद्ध लगभग `56.86 लाख व्यय हो चुका है ।

(ब) सी.आई.डी.सी. के नियंत्रणाधीन विघटित परिवहन निगम हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रावधानित राशि `1000.00 लाख के विरूद्ध `694.45 लाख का व्यय हो चुका है ।

---000---

राज्य योजना आयोग

प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग एवं राज्य के विकास की प्राथमिकताओं को निर्धारण करने के उद्देश्य से योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्रमांक 26/2001/ योआसां/23 दिनांक 10 जनवरी 2001 द्वारा राज्य योजना मंडल का गठन किया। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 8-7/2010/23/ वियो दिनांक 30.07.2010 द्वारा राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर ''राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़'' किया गया।

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, छ0ग0 शासन, मंत्रालय के आदेश दिनांक 04/10/2014 के अनुसार राज्य योजना आयोग का पुर्नगठन किया गया है। जिसमें डॉ. रमन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन वर्तमान में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं श्री सुनिल कुमार, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। शासकीय सदस्य के रूप में छ0ग0 शासन के तीन मंत्रियों, अशासकीय सदस्यों के रूप में चार राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों को सदस्य बनाया गया है। वे राज्य स्तर पर थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगें। पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में दो सदस्य (सदस्य सचिव सहित), एक अंशकालीन सदस्य, एवं दो स्थाई आंमत्रित के रूप में शामिल किये गये है।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अमले की जानकारी परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई है।

राज्य योजना आयोग के दायित्व

- राज्य की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजना तैयार करना।
- राज्य के संसाधनों का मूल्यांकन करना और उसके सर्वाधिक प्रभावी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना।
- योजना की प्राथमिकता सुनिश्चित करना।
- जिलों के उन क्षेत्रों में जिसमें विकास योजनाएं तैयार करना, राज्य की योजना के ढ़ॉचे के अंदर उपयोगी माना जाए, ऐसी योजनाएं बनाने में जिला अधिकारियों की सहायता करना।
- उन कारणों का पता लगाना, जिसमें राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में रूकावटें आती हों और राज्य में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उपाय सुझाना।
- योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा/पुर्नावलोकन करना तथा नीतियों और उपायों में ऐसे समायोजनों की सिफारिश करना, जो जरूरी हैं।

1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Grass State Domestic Product- GSDP) उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर 8.0 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 7.6 प्रतिशत रही है। कृषि क्षेत्र में उत्पाद तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कई योजनाए प्रारंभ की गई हैं। इसी का परिणाम है कि कृषि और सेवा क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध वृद्धि अधिक हुई है। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि अशातीत नहीं रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि की दर 6.5 प्रतिशत रही जबकि लक्ष्य 1.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का था। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में भी वृद्धि की दर 10.5 प्रतिशत वार्षिक रही है। विकास का प्रभाव है कि सेवा क्षेत्र का विस्तार कृषि एवं उद्योग की तुलना में अधिक रहा है। यही कारण है कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि लक्ष्य से अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध अशातीत उपलब्धि का न प्राप्त होना प्रमुखत: ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के काल के कुछ वर्षो में आयी वैश्विक मंदी है।

राज्य के आर्थिक विकास के लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

(आंकड़े - प्रतिशत में)

क्षेत्र	11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां	12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	वर्ष 2013-14 की उपलब्धियां
कृषि	1.7	6.5	6.0	5.8
उद्योग	12.0	6.2	7.5	4.7
सेवा	8.0	10.5	9.5	7.2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)	8.0	7.6	8.0	5.8

राज्य द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि हेतु 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य योजना आयोग को प्रस्तावित किया गया था। परन्तु योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 12 वी पंचवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि का संशोधित लक्ष्य 8.0 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार 12 वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु क्रमशः 6, 7.5 एवं 9.5 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वैश्विक मंदी के बावजूद वर्ष 2013-14 तक के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में गत वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो कि 6.0 प्रतिशत के करीब ही है। उद्योग क्षेत्र में वृद्धि लक्ष्य से कम रहने का अनुमान है। इसके 7.5 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 4.7 प्रतिशत की उपलब्धि का अनुमान है। इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में वृद्धि की दर लक्ष्य के विरूद्ध क्रमशः 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

2. सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) अथवा राज्य घरेलू उत्पाद (GDP) से आर्थिक प्रगति की जानकारी होती है किन्तु आर्थिक प्रगति से कितनी समाजिक प्रगति हुई है इसकी जानकारी नही हो पाती है। इसी सामाजिक प्रगति को मापने के लिये कुछ समाजिक एवं स्वास्थ्यगत सकेंतकों का सहारा लिया जाता है। विश्व समुदाय द्वारा जनता को न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु आठ सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, इन्हें ही सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य कहा जाता है। प्रत्येक लक्ष्य की प्राप्ति का अनुश्रवण (Monitoring) किये जाने हेतु निश्चित संकेतक निर्धारित किये गये हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने हेतु विश्व समुदाय द्वारा 2015 का लक्ष्य रखा गया है। इन्ही के अनुरूप 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य भी रखे गये हैं। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों से संबंधित कुछ प्रमुख संकेतको के संदर्भ में 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्नांकित तालिका में प्रदर्शित की गई है।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

क.	विकास संकेतक	इकाई	12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य	अद्यतन स्थिति	
				वर्ष	संकेतांक
1	2	3	6	7	8
1.	गरीबी में कमी (स्तर)	प्रतिशत	25	2011-12 PC, GoI	39.9
2.	शिशु मृत्यु दर (IMR)	प्रति हजार जीवित जन्म पर	28	2014 SRS	46
3.	मातृत्व मृत्यु दर (MMR)	प्रति लाख जीवित जन्म पर	122	2010-12 SRS	230
4.	सकल प्रजनन दर (TFR)	प्रति महिला	2	2012 MHFW	2.7
5.	कुपोषण (0 से 3 वर्ष के बच्चों में)	प्रतिशत	40.87	2013 WCD CG	32.51
6.	लिंगानुपात (0 से 6 वर्ष के बच्चें में)	प्रति हजार बालक	999	2011 Census	969
7.	शाला त्याज्य दर (Drop out Rate -Elementry Level) 1. प्रायमरी 2. अपर प्रायमरी	प्रतिशत	0	 2012-13 DISE	4.60 4.14 5.42
8.	साक्षरता दर (Literacy Rate)	प्रतिशत	90	2011 Census	70.3
9.	महिला पुरूष साक्षरता अंतर (Literary Gender Gap)	प्रतिशत	12	2011 Census	20.03

11 वीं एवं 12 वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में तथा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में कई नवीन योजनाए प्रांरभ की गई तथा योजनाओं के परिव्यय में क्रमश: आवश्यकतानुरूप वृद्धि की गई । इससे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का एक ओर उत्पादन बढा और दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हए। साथ ही लौगों को रियायती दर पर खाद्यान भी उपलब्ध कराया गया। इन सबका यह परिणाम यह हुआ कि 11 वीं पंचवर्षीय योजना के काल में यद्यपि यह बहुत कम है किन्तु गरीबी में कमी आई है। दीर्घकाल में चालू की गई योजनाओं के परिणाम आने वाले कुछ वर्षो से आने लगेगें तथा उसी दिशा में नई नीतियों के निर्माण से गरीबी में निश्चित रूप से तेजी से कमी आयेगी। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2004-05 में 49.40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे।

किसी भी राज्य की प्रगति को प्रदेश के समाजिक आर्थिक संकेतांक की प्रगति से जाना जा सकता है। प्रदेश के समाजिक आर्थिक संकेतांकों की प्रकृति धनात्मक है। प्रदेश में गरीबी का स्तर वर्ष 2009-10 में 49 प्रतिशत था। 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में कम हो कर लगभग 40 प्रतिशत हो गया है जो इस बात का घोतक है कि गरीबी उन्मूलन के लिए प्रारंभ किये गये कार्यक्रमों का प्रभाव सकारात्मक रहा है। गरीबी का प्रतिशत 2013-14 में कम होकर

39.9 हो गया है, इसको कम कर 2017 तक 25 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। शिशु मृत्यु दर में भी निरंतर गिरावट आ रही है, वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2014 में शिशु मृत्यु दर 2 अंक गिरकर 46 प्रति हजार हो गई है। इसी प्रकार कुपोषण में भी कमी आई है, वर्ष 2012 में 0 से 5 वर्ष के बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत 40.87 था जो कि वर्ष 2013 में कम होकर 32.51 प्रतिशत हो गया है। मातृत्व मृत्यु दर में भी प्रदेश के निर्माण के बाद से काफी सुधार हुआ है। मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2003 में 379 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2010-12 में 230 प्रति लाख हो गई है। कृषि, उद्योग एवं सेवा के क्षेत्र में भी विकास की गति अच्छी है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 6.47 प्रतिशत, उद्योग के क्षेत्र में 6.22 प्रतिशत और सेवा के क्षेत्र में 10.46 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य 8 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2013-14 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 5.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में आर्थिक विकास की दर लक्ष्य 6.0 प्रतिशत के अनुरूप 5.8 प्रतिशत रही जो कि अच्छी है। महिला परूष में साक्षरता अंतर को कम करने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। इस हेतु बालिकाओं को सायकल, गणवेश तथा किताबें प्रदान करने की योजनाएँ प्रारंभ की गई है। स्कूलों की चारदीवारी में ही बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय निर्मित किये जा रहे हैं। बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला नगर सैनिक की नियुक्ति आदि के कारण महिला पुरूष में साक्षरता अंतर को कम करने में सफलता मिलेगी।

3. पंचवर्षीय योजनाएँ

राष्ट्रीय स्तर पर अपनायी गयी मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश और प्रदेशों का विकास पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के आधार पर किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद से वर्तमान तक दो पंचवर्षीय योजनाएँ चली हैं। 10 वीं पंचवर्षीय योजना 2002-03 से 2006-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-08 से 2011-12। वर्तमान में वर्ष 2012-13 से 12 वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के लिये कुल रू. 53,729.98 करोड़ का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। जिसके विरूद्ध 5 वर्षो में (2007-08 से लेकर 2011-12 तक) कुल रू. 44,536.52 करोड का व्यय किया गया जो कि अनुमोदित परिव्यय का 81.86 प्रतिशत है।

पंचवर्षीय योजना

(राशि- करोड़ रूपये में)

कं.	प्रमुख क्षेत्रक	11वीं पंचवर्षीय योजना		12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित परिव्यय	उपलब्धि	
		कुल परिव्यय	व्यय		वर्ष 2013-14 वास्तविक व्यय	वर्ष 2014-15 अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	1955.46	4393.58	8283.74	1709.82	4072.76
2	ग्रामीण विकास	4260.06	1826.77	3668.52	770.01	982.78
3	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	692.80	2374.21	3313.50	518.43	859.50
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	7227.73	5322.18	11952.26	1734.45	1898.59
5	ऊर्जा	1805.37	1135.06	7337.03	801.71	580.36

6	उद्योग तथा खनिकर्म	815.05	1005.61	1972.32	307.99	327.24
7	यातायात	7227.48	4820.29	13017.31	1906.11	2900.21
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	3199.53	1354.50	2840.14	493.01	573.61
9	साामान्य आर्थिक सेवायें	834.68	2004.42	5206.92	634.86	163.03
10	समाजिक सेवायें	25330.46	20058.33	61260.26	9396.06	13865.31
11	सामान्य सेवायें	336.36	241.57	0.00	101.70	274.95
12	एकमुश्त केंन्द्रीय सहायता	–	–	–	-	116.66
योग		**53729.98**	**44536.52**	**118852.00**	18374.16	26615-00
13	स्थानीय निकायों के संसाधन	–	–	4421.00	–	–
14	PSEs	–	–	8455.00	–	–
	कुल योग	**53729.98**	**44536.52**	**131728.00**	**18374.16**	**26615.00**

- 11वी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रांश के रूप में रू0 186.18 करोड़ एवं वर्ष 2013–14 में रू. 59. 00 करोड़ प्राप्त हुए थे।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये संभावित संसाधनों के अनुसार रू. 1,31,728 करोड़ की 12 वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किया गया है। इसमें स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के रू. 12,876 करोड़ के संसाधन सम्मिलित हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के समय स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों को सम्मिलित नही किया गया था। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परिव्यय में से स्थानीय निकायों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों के घटानें पर 12 वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय रू. 1,18,852 करोड़ हो जाता है। इस प्रकार 12 वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित परिव्यय 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित परिव्यय से 121 प्रतिशत अधिक है।

11 वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवाओं का विस्तार तथा कृषि का विकास प्रमुख लक्ष्य थे। इसके अनुरूप कुल व्यय का 45.31 प्रतिशत सामाजिक सेवाओं तथा कृषि के विकास हेतु कृषि एवं संबंध सेवाओं तथा सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर कुल व्यय की 21.51 प्रतिशत राशि व्यय की गई।

12 वीं पंचवर्षीय योजना के कुल परिव्यय की 47 प्रतिशत राशि रू. 61,260 करोड़ सामाजिक सेवाओं के विकास हेतु प्रावधानित की गई है। कुल परिव्यय का 15 प्रतिशत कृषि के विकास पर व्यय किये जाने का प्रावधान है। इसके अलावा 12 वीं पंचवर्षीय योजना की 10 प्रतिशत राशि प्रदेश में सड़कों के निर्माण पर व्यय की जायेगी।

4. वार्षिक योजनाएँ

वार्षिक योजना 2013–14, 12 वीं पंचवर्षीय योजना का द्वितीय वर्ष है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों को सम्मिलित करते हुये योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 के लिये रू. 25,250.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था। इसमें रू. 1,940.86 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधन है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संसाधनों को कुल अनुमोदित परिव्यय में से घटाने के बाद वार्षिक योजना 2013–14 के अनुमोदित परिव्यय रू. 23,309.14 करोड के विरूद्ध 18,374.16 करोड़ का व्यय किया गया, जो कि कुल परिव्यय का 78.83 प्रतिशत है। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं, ग्रामीण विकास तथा सडकों के निर्माण हेतु आंबटित

राशि का केवल क्रमशः 74.2, 77.5 एवं 73.6 प्रतिशत राशि का व्यय किया गया है। यही कारण है कि योजना का कुल व्यय, कुल परिव्यय के विरूद्ध कुछ कम परिलक्षित होता है।

वार्षिक योजना

(राशि करोड़ रूपये में)

क्रं.	प्रमुख क्षेत्रक	वार्षिक योजना वर्ष 2013-14			वर्ष 2014-15 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित व्यय	वास्तविक व्यय	व्यय का प्रतिशत	
1	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	2304.98	1709.82	74.18	4072.76
2	ग्रामीण विकास	993.53	770.01	77.50	982.78
3	विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम	840.43	518.43	61.69	859.50
4	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2088.85	1734.45	83.03	1898.59
5	ऊर्जा	924.36	801.71	86.73	580.36
6	उद्योग तथा खनिकर्म	289.48	307.99	106.39	327.24
7	यातायात	2589.25	1906.11	73.62	2900.21
8	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	530.77	493.01	92.89	573.61
9	सामान्य आर्थिक सेवायें	675.99	634.86	93.92	163.03
10	समाजिक सेवायें	11756.84	9396.06	79.92	13865.31
11	सामान्य सेवायें	255.67	101.70	39.78	274.95
12	एकमुश्त अतिरिक्त केंन्द्रीय सहायता	59.00	-	-	116.66
योग		23309.14	18374.16	78.83	26615.00
13	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	1940.86	-	-	-
कुल योग		25250.00	18374.16	78.83	26615.00

वार्षिक योजना 2014-15 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 26,615.00 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के लिए रूपये 4,072.76 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए रूपये 982.78 करोड़, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए रूपये 1,898.59 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुमोदित परिव्यय में सर्वाधिक 52.10 प्रतिशत राशि रूपये 13,865.31 करोड़ का प्रावधान सामाजिक सेवाओं हेतु किया गया है।

5. वार्षिक योजना में जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान

वार्षिक योजना के प्रावधान तीन मांग संख्याओं के अंतर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु पृथक-पृथक किया जाना है जिससे एक क्षेत्र की राशि अन्य क्षेत्रों में व्यय न की जा सके। किसी भी रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मद के अंतर्गत प्रावधानित राशि सामान्य मद में व्यय नही की जा सकती है। यह प्रावधान अनुसूचित जाति तथा जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत के अनुरूप किया जाना है। वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में अनुसूचित जाति हेतु क्रमशः 12.57 प्रतिशत तथा 11.97 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत

12.82 के अनुरूप प्रावधानित किये जाने हेतु प्रयासरत् है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 30.62 प्रतिशत है। अतएव अनुसूचित जनजाति हेतु वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में 34 प्रतिशत से अधिक राशि का प्रावधान किया गया है।

वार्षिक योजना में जनसंख्या के अनुपात में प्रावधान

(राशि- लाख रूपये में)

क्रं.	वर्ष	विभिन्न वर्गो हेतु निर्धारित परिव्यय एवं उसका प्रतिशत					
		सामान्य		अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP)		अनुसूचित जाति उपयोजना (SCSP)	
		परिव्यय	प्रतिशत	परिव्यय	प्रतिशत	परिव्यय	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वार्षिक योजना वर्ष 2013-14	1436793.74	53.31	795249.25	34.12	292957.01	12.57
2	वार्षिक योजना वर्ष 2014-15	1391071.98	52.27	951856.78	35.76	318570.84	11.97

6. जिला योजना

भारत के संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन द्वारा स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है। जिसमें उसे विकेन्द्रीकृत नियोजन अपनाने का विस्तृत आधार प्रदाय किया गया है।

जिला योजना के संदर्भ में संचालित कार्यक्रम/उपलब्धियाँ

1. यूनीसेफ तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वाधान में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 के निर्माण के लिए जिले का स्थिति विश्लेषण निर्धारित सात क्षेत्रकों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजिविका, अधोसंरचना, उर्जा प्रबंधन तथा नागरिक अधिकार संरक्षण एवं सशक्तिकरण बिन्दुओं पर प्रारूप तैयार किया गया है।
2. प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके प्रत्येक संभाग से यथा जशपुर, बिलासपुर, धमतरी, राजनांदगांव, उत्तर बस्तर कांकेर जिलें की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है जिसे संबंधित जिलाधीश के समक्ष प्रस्तुतीकरण कर सहमति उपरांत राज्य योजना आयोग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है।
3. स्वास्थ्य के आंकड़ों पर सभी जिलों का रिपोर्ट कार्ड बनाया गया, जिसे राज्य के सभी जिलों को प्रेषित किया गया।
4. धमतरी जिले के नगरी विकासखण्ड में जीआईएस आधारित आदर्श सहभागी योजना पर कार्य प्रारंभ किया गया है।
5. संयुक्त राष्ट्र विकास योजना तथा राज्य योजना आयोग के संयुक्त तत्वाधान में विकेन्द्रीकृत जिला योजना सुदृढ़ीकरण करने के लिए वर्ष 2014-15 में एक परियोजना प्रारंभ की गयी है। इस परियोजना के अंतर्गत जिला योजना समिति का क्षमता विकास, जेण्डर आधारित समन्वित जिला योजना, सफल प्रयासों का अभिलेखीकरण एवं फ्लेगशिप योजना में सामाजिक अंकेक्षण को योजना की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

भाग- दो

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ का बजटीय प्रस्ताव 2014-15

(राशि लाख रूपये में)

क्रं.	योजना शीर्ष एवं क्रंमाक	स्वीकृत बजट वर्ष 2013-14	पुनरीक्षित 2013-14 का वास्तविक व्यय	वर्ष 2013-14 का वास्तविक व्यय	बजट अनुमान 2014-15
1	2	3	4	5	6
1. मांग संख्या -31, मुख्य लेखा शीष- 3451					
1.1	3686- राज्य योजना आयोग (आयोजनेत्तर)	301.60 0.20	273.70 0.20	169.67 -	370.70 0.20
	योग	**301.80**	**293.70**	**169.67**	**390.70**
1.2	6525 - यूरोपियन कमीशन	774.20	774.20	1.79	70.35
	योग	**774.20**	**774.20**	**1.79**	**70.35**
2. मांग संख्या -60, मुख्य लेखा शीर्ष- 3451					
	7282- जिला योजना का सुदृढ़ीकरण (आयोजना)	100.00	100.00	30.41	84.00
	योग	**100.00**	**100.00**	**30.41**	**84.00**

भाग -तीन

राज्य योजना एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना

भाग -चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

भाग -पांच

अभिनव योजना

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रदेश में संचालित सभी योजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन हेतु विश्व बैंक की सहायता से वेब आधारित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पद्धति का विकास किया जा रहा है। साफ्टवेयर पूर्णता की दशा में है। पशुधन विकास विभाग, मत्स्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में साफ्टवेयर का ट्रायल चल रहा है इन विभागों के द्वारा साफ्टवेयर के उपयोग पश्चात अंतिम रूप से सभी विभाग द्वारा इसे उपयोग में लाया जावेगा। पद्धति के विकास पश्चात कम्प्यूटर की एक क्लिक पर योजनाओं की प्रगति की जानकारी अनुश्रवणकर्ता अधिकारी के समक्ष होगी। राज्य, जिला एवं विकास खण्ड स्तर तक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों संबंधी अद्यतन जानकारी इस पद्धति के द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। योजनाओं में हितग्राहियों की जानकारी प्राप्त करना भी संभव हो सकेगा। साथ ही यदि किसी योजना की प्रगति आशातीत नहीं है तो योजना में बाधा कहां पर आ रही है जिसके कारण योजना की प्रगति बाधित हो रही है, इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। हितग्राही मूलक एवं वर्क्स डिपार्टमेंट के योजनाओं की प्रकृति भिन्न-भिन्न होते हुये भी इन सभी का अनुश्रवण इस पद्धति के द्वारा किया जाना संभव हो सकेगा।

पुर्नगठित राज्य योजना आयोग द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation) में प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं की भागीदारी की ओर भी आयोग प्रयासरत है।

भाग –छः

प्रकाशन

वार्षिक योजना 2014–15 के भाग –एक एवं भाग –दो का प्रकाशन किया गया।

भाग – सात

सांराश

राज्य योजना आयोग का प्रमुख दायित्व प्रदेश के विभिन्न विभागों से प्राप्त वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव पर विभागों से चर्चा कर योजनाओं को अंतिम रूप देना तथा अपनी अनुशंसाओं के साथ वित्त विभाग को संस्तुति करना है, साथ ही प्रदेश द्वारा तैयार वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना का योजना आयोग, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होता है। वार्षिक योजना 2014–15 के लिये योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा रूपये 26,615 करोड़ के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। जिला योजना तैयार किये जाने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया एवं प्रदेश की वर्तमान स्थिति का जिलेवार स्थिति विश्लेषण तैयार कराया गया है।

------**000**-----

परिशिष्ट - एक (1)

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ में स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

(01 जनवरी, 2015 की स्थिति में)

क्र	स्वीकृत पदनाम	श्रेणी	वेतनमान	ग्रेड वेतन	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद	रिक्त पद संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सदस्य		राज्य शासन द्वारा मनोनीत		1	1	0
2	अंशकालीन सदस्य		राज्य शासन द्वारा मनोनीत		1	1	0
3	सदस्य सचिव	प्रथम श्रेणी	37400-67000	10000	1	1	0
4	सलाहकार	प्रथम श्रेणी	37400-67000	8700	4	0	4
5	उप सचिव	प्रथम श्रेणी	37400-67000	7600	1	0	1
6	संयुक्त संचालक	प्रथम श्रेणी	15600-39100	7600	2	2	0
7	संयुक्त संचालक (वित्त)	प्रथम श्रेणी	15600-39100	7600	1	1	0
8	अवर सचिव	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600	1	0	1
9	शोध अधिकारी	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600	4	0	4
10	सांख्यिकी अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400	4	0	4
11	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	15600-39100	5400	2	1	1
12	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	द्वितीय श्रेणी	9300-34800	4400	1	1	0
13	सहायक प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4400	1	0	1
14	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	4	2	2
15	कनिष्ठ ग्रंथपाल	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	1	0	1
16	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	2	1	1
17	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	2	1	1
18	सहायक ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	1	1	0
19	अन्वेषक	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2800	4	3	1
20	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	1	1	0
21	कनिष्ठ लेखापाल	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	1	0	1
22	सहायक ग्रेड-2	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	2	1	1
23	संगणक/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2200	6	3	3
24	सहायक ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	4	1	3
25	वाहन चालक वरिष्ठ	तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	1	1	0
26	वाहन चालक कनिष्ठ	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1400	4	4	0
27	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1400	1	0	1
28	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1300	11	6	5
29	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	Collector Rate		2	0	2
30	वाटरमेन	चतुर्थ श्रेणी	Collector Rate		1	1	0
31	फर्राश	चतुर्थ श्रेणी	Collector Rate		1	1	0

	योग	73	35	38

उपाध्यक्ष कार्यालय हेतु							
क्र0	**स्वीकृत पदनाम**	**श्रेणी**	**वेतनमान**	**ग्रेड वेतन**	**स्वीकृत पद संख्या**	**भरे हुए पद**	**रिक्त पद संख्या**
1	उपाध्यक्ष		राज्य शासन द्वारा मनोनीत		1	1	0
2	विशेष सहायक	प्रथम श्रेणी	15600-39100	6600	1	0	1
3	निज सचिव	द्वितीय श्रेणी	9300-34800	4400	1	0	1
4	निज सहायक	तृतीय श्रेणी	9300-34800	4300	1	0	1
5	सहायक ग्रेड –2	तृतीय श्रेणी	5200-20200	2400	1	0	1
6	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	5200-20200	1900	2	0	2
7	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440	1300	3	2	1
	योग				10	3	7
	महायोग				83	38	45

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

भाग–एक

विभागीय संरचना

राज्य की सामाजार्थिक गतिविधियों में समन्वय, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा विविध विषयों पर सांख्यिकी के एकत्रीकरण, सारणीयन एवं संकलित जानकारी के प्रस्तुतीकरण इत्यादि कार्यो को संपादित करने हेतु राज्य, जिला एवं जनपद मुख्यालय पर विभिन्न संवर्गो के अधिकारी एवं कर्मचारी पदस्थ है । वर्तमान में स्वीकृत एवं कार्यरत अमले का विवरण परिशिष्ट–1 में दर्शाया गया है ।

अधीनस्थ कार्यालय

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, के अधीनस्थ जिला स्तर पर प्रदेश के 27 जिलों में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय स्थापित है । संचालनालय में प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के निष्पादन हेतु 09 संभाग है जिनका विवरण **परिशिष्ट–2** में दर्शाया गया है ।

संचालनालय के दायित्व

शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सविन्यास, प्रशासन एवं विकास से संबंधित आधारभूत सांख्यिकी का संकलन, सर्वेक्षण, विश्लेषण, मूल्यांकन तथा उन्हें प्रकाशित कर सामाजार्थिक स्थिति का स्पष्ट एवं वास्तविक चित्रांकन करने एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण दायित्व इस संचालनालय का है । राज्य शासन द्वारा संचालनालय को इस हेतु नोडल अभिकरण घोषित किया गया है ।

संचालनालय के प्रमुख कार्य

1.सामान्य जानकारी

1.1 आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के विन्यास हेतु विकास कार्यक्रमों एवं प्रशासकीय उपयोग हेतु वांछित सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण कार्य संपादित किया जाता है, साथ ही राज्य की सामाजार्थिक स्थिति का आंकलन करने के अलावा राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययनों का निष्पादन का दायित्व भी संचालनालय का है ।

1.2 प्रचलित अधिनियम तथा नियम निम्नानुसार है :–

(अ) औद्योगिक सांख्यिकी (कारखाना अधिनियम,1948)

(ब) जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

(स) छत्तीसगढ. राज्य जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001

(द) सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008

(ई) सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1.3 संचालनालय अपने तकनीकी कार्यो के संपादन हेतु राष्ट्रीय नीति का पूर्णत: अनुसरण करता है । इसके अंतर्गत भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय न्यादर्श कार्यालय, महारजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन एवं योजना आयोग के अनुदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप उपयोगी सांख्यिकी का निर्धारित प्रारूपों में संकलन, संधारण तथा विभिन्न प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अनुसूचियों द्वारा राज्य स्तर पर भी संचालनालय में सर्वेक्षण संपादित किया जाता है ।

1.4 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते है ।

1.5 संचालनालय की सांख्यिकी गतिविधियों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर प्रशासन, योजनाविदों तथा शोधकर्ताओं को उपयोगी सांख्यिकी उपलब्ध कराना है ।

2 प्रमुख गतिविधियाँ

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था संबंधी प्रकाशन

राज्य की सामाजिक स्थिति तथा उसे प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों एवं नीतियों का वार्षिक विश्लेषणात्मक अध्ययन छत्तीसगढ. का **आर्थिक सर्वेक्षण** के रूप में प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशन के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्यीय आय, कृषि उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य विकास, वानिकी, जलसंसाधन, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन, श्रम एवं रोजगार, सहकारिता एवं बैंकिंग तथा सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विभागों की विकासात्मक गतिविधियों के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाती है । प्रतिवर्ष विधानसभा के बजट सत्र में यह प्रकाशन माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जात है ।

2.2 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य की अर्थ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करने के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मार्गदर्शन में प्रतिवर्ष **राज्य के सकल/निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान** (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) तैयार किये जाते है । इन अनुमानों को भी प्रतिवर्ष विधान सभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाता है ।

2.3 बजट विश्लेषण

राज्य के वार्षिक बजट का **आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण** भी संचालनालय द्वारा किया जाता है, जो राज्य की प्राथमिकताओं का सूचक है । संचालनालय द्वारा वर्ष 2014-15 की अवधि में राज्य बजट का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण 2011-12 (लेखा) 2012-13 (पु.अ.) एवं 2013-14 (आ.अ.) नामक प्रकाशन तैयार किया गया ।

2.4 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71 वें दौर में **''शिक्षा एवं स्वास्थ्य''** विषय पर निर्धारित प्रपत्रों पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य संचालनालय के निर्देशन में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण कर लिया गया है, डाटा एण्ट्री का कार्य प्रगति पर है । 72 वे दौर में 200 ग्रामीण एवं 124 नगरीय प्रतिदर्श आंबटित है। इस दौर में ''घरेलू यात्रा व्यय'' पर 324 न्यादर्शो के सर्वे का कार्य 01 जुलाई 2014 से प्रथम एवं द्वितीय उपदौर का कार्य किया जा चुका है, शेष उपदौर का कार्य जनवरी 2015 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

2.5 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य

राज्य में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य भारत सरकार के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1969 तथा छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के प्रावधानों के तहत् किया जाता हैं।

प्रशासनिक संरचना :-

उक्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा निम्नांकित पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है :-

क्षेत्र	जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)
ग्रामीण	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	मुख्य कार्य. अधिकारी, जनपद पंचायत	सचिव ग्राम पंचायत
नगरीय	-तदैव-	-	नगर पालिक निगम/ नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्टि अधिकारी
संस्थागत	-तदैव-	-	1.समस्त शास. अस्पतालों के प्रभारी अधिकारी 2. राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रम के अस्पतालों के प्रभारी अधिकारी

जन्म-मृत्यु का पंजीयन के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार की गई है :-

पदनाम	धारित पद	अधिकारिता
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संयुक्त संचालक (जीव.)	संयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
उप संचालक (जीव.)	उप मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
सहायक संचालक(जीव.)	सहायक मुख्य रजिस्ट्रार	सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य
संभागीय आयुक्त	संभागीय मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व संभाग के भीतर
कलेक्टर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व जिले के भीतर
मुख्य कार्य. अधि. जिला पंचा.	सहा. अति. मुख्य रजिस्ट्रार	उनके राजस्व जिले के भीतर

जन्म-मृत्यु पंजीयन बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय :-

(I) छत्तीसगढ़ राज्य में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन के सुदृढ़ीकरण को एक अभियान के रूप मे लिया गया था। राज्य में वर्ष 2012 में जन्म पंजीयन का स्तर जहां 69.9 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2013 में यह बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2014 में शत्प्रतिशत पंजीयन करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्य हासिल कर लिया गया हैं।

(II) राज्य शासन जन्म एवं मृत्यु पंजीयन स्तर में वृद्धि एवं सरलीकृत करने के उद्देश्य से राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों को पंजीयन इकाई बनाया गया है।

(III) विलंबित पंजीयन शुल्क को आगामी पांच वर्ष तक 1 रूपया किया गया, जिसका वहन भी राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। अर्थात् जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क किया गया है।

(VI) जन्म एवं मृत्यु पंजीयन कराने हेतु जन जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया, साथ ही मैदानी कर्मचारियो को प्रशिक्षण दिया गया, एवं उनके कार्यो का सघन निरीक्षण किया गया।

(V) विलंबित पंजीयन को सरल करने हेतु आवश्यक शपथ पत्र (नोटरी) के स्थान पर स्व-प्रमाणित शपथ पत्र को मान्य किया गया है। जिसे एन.ए.एम./एम.पी.डब्ल्यू/स्कूल के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाता है।

2.6 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतिम औद्योगिक श्रमिको के परिवारिक आय-व्ययों का पायलेट सेर्वक्षण भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय श्रम ब्यूरो के द्वारा समन्न कराया जा रहा है । वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ राज्य के तीन जिलों का चयन कर लिया गया है। चयनित जिलों के अंतिम बाजार निम्नानुसार है:-

रायपुर ----I- गोल बाजार, II- बीरगांव

कोरबा ----I- निहारिका, II- कोसाबाड़ी, III- ट्रांसपोर्ट नगर

दुर्ग (भिलाई) I- आकाशगंगा, II- केम्प-2

2.7 वार्षिक कार्यकलाप

(क) वर्ष 2014-15 में प्रकाशित प्रकाशन

(1) छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण -2013-14 (फरवरी 2014 में प्रकाशित)

(2) छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004-2005 से 2013-14;।द्ध

(3) छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विपणन- 2012-13

(4) छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप 2011-12

(5) अलाभकारी संस्थाओं पर रिपोर्ट (1957 से 2008)

(6) Chhattisgarh At a Glance - 2012

(7) Economic and Purpose Classification of State Government Budget of Chhattisgarh 2011-12 (A/C), 2012-13 (R.E.) & 2013-14 (B.E.)

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ से (सन् 1993-94) जनवरी, 2015 तक कुल 742.75 करोड़ रूपये की राशि छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी की गई है, जिसमें से राशि रू. 682. 93 करोड़ रूपये की लागत से 41302 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये । योजनान्तर्गत भौतिक उपलब्धि 92.96 प्रतिशत तथा वित्तीय उपलब्धियॉ 91.94 प्रतिशत रही हैं।

(ग) अन्य सर्वेक्षण कार्य :-

1. अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं का सर्वेक्षण

भारत सरकार केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार अलाभकारी पंजीकृत संस्थाओं के सर्वेक्षण प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसकी उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा जा चुका है ।

2. रोजगार बेरोजगार सर्वेक्षण

वर्ष 2013-14 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोजगार- बेरोजगार सर्वेक्षण के चतुर्थ चरण का आयोजन लेबर ब्यूरो के निर्देशन में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों मे सर्वेक्षण हेतु 164 ग्रामीण तथा 100 शहरी कुल 264 चयनित ईकाईयों सर्वेक्षण पूर्ण कर अनुसूचियां लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ को भेजी जा चुकी है ।

(ड.) प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय तथा अधीनस्थ जिला कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिया गया।

क्र	प्रशिक्षण का विषय	अवधि	प्रशिण संस्थान का नाम	संख्या
1	I- आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	01 से 29 अप्रैल 2014 तक	छ0ग0 प्रशासन अकादमी निमोरा रायपुर	82-नवनियुक्त अधिकारियों को
2	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	12 से 17 जनवरी 2015 तक	भारतीय प्रबंध संस्थान सेज बहार रायपुर,	30-अधिकारियों को
3	Data Index Number & Price Statistics Data	15 से 19 सितंबर 2014 तक	NSSTA Govt. of India CSO Greater Noida Uttar Pradesh	02-अधिकारियों को
4	Research Methodology of Rural Development	09. से 18 जून 2014 तक	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद	02-अधिकारियों को

(च) तेरहवे वित्त आयोग की अनुशंसा

तेरहवे वित्त आयोग की सिफारिशों के परिपालन में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य में निम्नांकित लक्ष्यों/उद्देश्यों (Milestone) को कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया है:-

(I) जिला स्तर पर व्यापार रजिस्टर का संधारण।

(II) स्थानीय निकायो के लिए प्राप्ती एवं भुगतान के लिए खातों का संधारण।

(III) फार्म गतिविधियों की सांख्यिकी में आवश्यक सुधार करना।

(IV) जिला स्तरीय पैरामीटर संबंधित आंकड़ों के संधारण हेतु केन्द्र एवं राज्य स्तर के (NSSO) के आकड़ों का मिलान कर प्रयोग करना।

(V) राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालयों को नेटवर्क कनेक्टिीविटि उपलब्ध करना।

योजनांतर्गत 18 जिला योजना एव सांख्यिकी कार्यालय को एक-एक करोड़ की अनुदान राशि के अनुपात में राज्य को कुल राशि रू. 18.00 करोड़ प्राप्त हुए है, जिसके विरूद्ध जनवरी 2015 तक राशि रु. 08.28 करोड़ व्यय किया जा चुका है ।

भाग-दो

बजट विहंगावलोकन :-

संचालनालय को आलोच्य वर्ष 2014-15 में सांख्यिकी गतिविधियों के संचालन हेतु गैर योजनान्तर्गत निम्नानुसार आवंटन प्राप्त हुआ है ।

(राशि हजार रू. में)

बजट मद विवरण	वर्ष 2014-15 वास्तविक व्यय (जनवरी 2014)	वर्ष 2014-15 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2015-16 के लिए बजट प्रस्ताव
1	2	3	4
आयोजनेत्तर			
1 जन्म-मृत्यु आंकड़ों - 1430	17824.42	20620	27470
2. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण-0512	8349.733	13413	15430
3. राज्य सांख्यिकी संस्थान-8048	115194.10	158430	181850

योग	**141368.253**	**192463**	**224750**
1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन -2987	9355.62	23008	25248
योग	**9355.62**	**23008**	**25248**

भाग-तीन

संचालनालय द्वारा वर्तमान में निम्नवत राज्य/केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय एवं विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ संचालित की जा रही है ।

(राशि हजार रू. में)

योजना विवरण	वर्ष 2014-15 वास्तविक व्यय (जनवरी 2014)	वर्ष 2014-15 पुनरीक्षित प्रस्ताव	वर्ष 2015-16 के लिए बजट प्रस्ताव
1	2	3	4
राज्य-आयोजना			
6562 जन्म-मृत्यु अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन	230	6210	6210
6564 सांख्यिकी कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण	50	430	473
6293 सांख्यिकी अमले का प्रशिक्षण	133	310	341
केन्द्र प्रवर्तित योजना			
5501 जन्म-मृत्यु सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	368	7000	7000
7413 राज्य सांख्यिकी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	0	130	130
केन्द्र क्षेत्रीय योजना			
5537 मृत्यु सांख्यिकी का विश्लेषण	0	609	609
7497 छठवी आर्थिक गणना	353	2500	1200
7414 स्थानीय स्तर विकास हेतु मूलभूत सांख्यिकी	0	2500	2500
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना			
6725 यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान	0	2200	2200
तेरहवें वित्त आयोग			
7416-तेरहवे वित्त आयोग की अनुसंशा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	32882	76964	**99864**
योग	**32882**	**76964**	**99864**

भाग-चार

सामान्य प्रशासनिक विषय-निरंक

भाग-पांच

अभिनव योजनाएँ-निरंक

भाग–छः

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में प्रकाशित प्रकाशनों का परिचयात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

1. आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष– (2013–14) :–

प्रस्तुत वार्षिक प्रकाशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र विकास, जल संसाधन, परिवहन संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्यौगिकी विकास के साथ ही सामाजिक विषयों से संबद्ध क्षेत्रों में अभिज्ञापित उपलब्धियों का उल्लेख राज्य के संदर्भ में किया गया है । यह प्रकाशन विगत विधान सभा के बजट सत्र वर्ष 2014 में माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है ।

2. आय व्ययक संक्षेप– (2013–14) :–

प्रकाशित प्रकाशन में राज्य शासन द्वारा आलोच्य अवधि के लिये प्रस्तावित आयोजना एवं गैर आयोजनेत्तर व्यय तथा उसके सापेक्ष में अनुमानित आय का विवरण तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया गया, विभाग द्वारा इस प्रकाशन को वार्षिक बजट के साथ विधानसभा में वितरित किया गया ।

3. छत्तीसगढ़ के राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004–2005 से 2013–2014 (A)

इस प्रकाशन में राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमान –सकल/निवल (प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) संचालनालय द्वारा तैयार कर प्रकाशित किये गये, जिसमें प्रति व्यक्ति आय (सकल/निवल –प्रचलित एवं स्थिर भावों पर) का भी आकलन प्रस्तुत किया गया है।

4. राज्य में कृषि विपणन (2012–13) :–

प्रकाशन में राज्य की प्रमुख फसलों का उत्पादन आवक–जावक एवं बुआई–कटाई का समय संबंधी जानकारी के अतिरिक्त विगत तीन वर्षो में प्रमुख कृषि पदार्थो के उत्पादन एवं मण्डीयों में आवक की जानकारी का तुलनात्मक विवरण आदि शामिल रहता है जो राज्य की सुदृढ़ कृषि विपणन व्यवस्था दर्शाता है।

5. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप (2011–12) :–

इस प्रकाशन में छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामाजार्थिक विकास के संकेतांक संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्य स्तर पर जिलेवार तालिकाओं के रूप में प्रकाशित किया गया है। राज्य/जिलों के संदर्भ में वर्ष 2009–10, से 2011–12 तक की जानकारी का तुलनात्मक अध्ययन हो सके।

6. छत्तीसगढ़ एक दृष्टि में (2012) :–

इस प्रकाशन में प्रशासनिक, कृषि, ग्रामीण विकास, जल, परिवहन, पर्यावरण एवं सामाजिक अवयवों से संबंधित प्रमुख संकेतांको के आधार पर ऑकड़े प्रस्तुत किये गये हैं जिससे राज्य की विकास अवधारणा का प्रबोधन किया जा सके ।

7. राज्य बजट का आर्थिक एवं उद्देश्वार वर्गीकरण–वर्ष 2011–12 (लेखा), 2012–13 (पु.अ.) एवं 2013–14 (आ.अ.)–

प्रस्तुत प्रकाशन में उद्देश्य के अनुसार किये गये वित्तीय प्रावधान एवं उसके सापेक्ष्य परिव्यय का उल्लेख किया जाता है ।

भाग–सात

सारांश–निरंक

परिशिष्ट –एक

मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के स्वीकृत एवं भरे पदों की जानकारी

(01-01-2015 की स्थिति में)

क्र.	श्रेणी एवं पदनाम	स्वीकृत पद			भरे हुए पद		
		मुख्यालय	जिला	**योग**	मुख्यालय	जिला	**योग**
	प्रथम श्रेणी						
1	आयुक्त सह संचालक	1	0	**1**	1	0	**1**
2	अपर संचालक	1	0	**1**	0	1	**1**
3	संयुक्त संचालक	3	0	**3**	3	0	**3**
4	उपसंचालक	3	27	**30**	3	2	**5**
	द्वितीय श्रेणी						
5	सहायक संचालक योजना	13	27	**40**	3	0	**3**
6	सहायक संचालक सांख्यिकी	0	27	**27**	0	16	**16**
	तृतीय श्रेणी						
7	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	36	122	**158**	36	114	**150**
8	सहायक प्रोग्रामर	1	0	**1**	0	0	**0**
9	अन्वेषक/ खण्ड स्तर अन्वेषक	14	165	**179**	15	87	**102**
10	संगणक (डाटा एण्ट्री आपरेटर)	6	54	**60**	01	03	**4**
10	अधीक्षक	01	0	**01**	0	1	**01**
12	आशुलिपिक ग्रेड-2	01	0	**01**	0	0	**0**
13	आशुलिपिक ग्रेड-3	01	0	**01**	0	0	**0**
14	स्टेनोटायपिस्ट	04	18	**22**	1	0	**1**
15	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	0	**01**	1	0	**1**
16	के.पी.ओ.	02	0	**2**	0	0	**0**
17	कनिष्ठ लेखा परीक्षक	01	0	**01**	0	0	**0**
18	सहायक ग्रेड-1	04	07	**11**	4	3	**7**
19	सहायक ग्रेड-2	05	27	**32**	1	10	**11**
20	सहायक ग्रेड-3	20	61	**81**	05	18	**23**
21	वाहन चालक	5	7	**12**	01	5	**06**
22	वाहन चालक (आकस्मिकता निधि)	3	20	**23**	03	4	**7**
	चतुर्थ श्रेणी						
23	जमादार	1	0	**01**	01	0	**01**
24	भृत्य	15	61	**76**	13	30	**43**

25	चौकीदार	02	0	**2**	02	0	**02**
26	स्वीपर/फर्राश/वाटरमेन,(कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर)	05	36	**41**	05	24	**29**
	योग	**149**	**659**	**808**	**99**	**317**	**416**

परिशिष्ट–दो

संचालनालय के संभाग एवं निष्पादित कार्यविवरण

1. I. जिला सांख्यिकी तंत्र	1. जिलों का तकनीकी मार्गदर्शन एवं निरीक्षण 2. जिले की प्रकाशनों की समीक्षा एवं दिशा–निर्देश 3. तकनीकी कार्यों की अर्धवार्षिक/वार्षिक समीक्षा
II. सांख्यिकी समन्वय एवं प्रशिक्षण	1. राज्य के समस्त विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों की समीक्षा, मार्गदर्शन 2. विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण
2. I. सामाजिक एवं आर्थिक विश्लेषण	1. प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना 2. आर्थिक सर्वेक्षण 3. जिलेवार सामाजार्थिक विकास संकेतांक 4. छत्तीसगढ़ का सांख्यिकी संक्षेप
II. प्रकाशन/ पुस्तकालय	1. राज्य स्तरीय प्रकाशनों का प्रकाशन 2. पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का क्रय, एवं विभागीय प्रकाशनों का वितरण एवं संधारण
3. I. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण	1. राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्य का सर्वेक्षण, सारणीयन एवं प्रतिवेदन
II. अन्य सर्वेक्षण एवं गणनाएं	1. छटवीं आर्थिक गणना 2. स्थानीय स्तर विकास से संबंधित मूलभूत सांख्यिकी 3. रोजगार–बेरोगार सर्वेक्षण 4. अलाभकारी संस्थाओं का सर्वेक्षण एवं प्रतिवेदन
4. I. राज्यीय आय	1. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान 2. राज्य/जिला स्तरीय घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने हेतु प्रक्रियागत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
II. पूंजी निर्माण	1. छ.ग.राज्य के सकल स्थायी पूंजी निर्माण के अनुमान तैयार करना
III. लोक वित्त एवं बजट विश्लेषण	1. लोक वित्त तथा स्थानीय संस्थाओं की सांख्यिकी का संकलन एवं संधारण 2. राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं के आय व्ययक का आर्थिक उद्देश्यवार वर्गीकरण कर आय–व्यय संक्षेप में तैयार करना
IV. बाजार समाचार	1. थोक/फूटकर मूल्यों का संकलन/समीक्षा 2. कृषि उपज मंडियों का निरीक्षण 3. छत्तीसगढ़ में कृषि विपणन
5. I. औद्योगिक, खनिज,	1. औद्योगिक, खनिज, एवं ऊर्जा सांख्यिकी

ऊर्जा एवं उत्पादन के सूचकांक सांख्यिकी	2. सार्वजनिक क्षेत्रों का लेखा विश्लेषण 3. लोक स्वास्थ्य एवं पविार कल्याण, समाज कल्याण,औद्योगिक सामाजिक सुरक्षा सांख्यिकी
II. भवन एवं गृह निर्माण सांख्यिकी	1 गृह एवं भवन निर्माण सांख्यिकी 2. इमारती सामान के थोक भावों की जानकारी 3 आपदा प्रबंधन सांख्यिकी संकलन
6. जीवनांक सांख्यिकी	1. जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रणाली का संचालन, पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं समीक्षा 2. वार्षिक जीवनांक प्रतिवेदन 3. जन्म- मृत्यु रजिट्रीकरण अधिनियम 1969 के कार्यकरण पर वार्षिक प्रतिवेदन 4. मृत्यु के कारणों का चिकित्सा आधार पर वर्गीकरण एवं प्रतिवेदन
7. बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना	1. संबंधित विभागों से प्रगति का मासिक संकलन, संधारण एवं संप्रेषण 2. केन्द्र द्वारा की गई समीक्षा की अनुवर्तन कार्यवाही
8. I. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा 2. बैठक आयोजित करना एवं निर्देश प्रसारित करना
I I. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1. मासिक/त्रैमासिक समीक्षा करना 2. जिला स्तर पर आ रही कठिनाइयों का निराकरण कर दिशानिर्देश /मार्गदर्शन देना 3. योजनांतर्गत अंकेक्षण, मॉनिटरिंग करना
9. I. प्रशासन	1. प्रशासन, स्थापना, लेखा एवं लेखा परीक्षण तथा बजट प्रस्ताव तैयार करना ।
II. सूचना कें अधिकार	1. प्रभावी अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समायावधि में निराकरण एवं प्रतिवेदन ।

20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

भाग–एक

सामान्य जानकारी एवं विभागीय संरचना

संचालनालय द्वारा कार्यक्रम का संचालन नहीं किया जाता है, बल्कि कार्यक्रम से संबधित विभागों द्वारा ही योजनाएं संचालित की जाती है। वर्तमान में मात्र संबंधित योजनाओं की प्रगति विभागाध्यक्ष कार्यालयों से प्राप्त कर केन्द्र शासन को संप्रेषित की जाती है । केन्द्र शासन का बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग योजना की मासिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निर्गम करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञापित प्रगति की समीक्षा का दायित्व राज्य स्तर पर वित्त एवं योजना विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय को हस्तांतरित किया गया है । संचालनालय स्तर पर 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु पदों की संरचना स्वीकृति नहीं है, बल्कि संचालनालय के लिए स्वीकृत अमले से ही इसे अतिरिक्त कार्य के रूप में किया जाता है।

अधीनस्थ कार्यालय

कार्यक्रम के प्रारंभ से (वर्ष 1975) में प्रत्येक जिला/विकास खण्ड स्तर पर क्रमशः सहायक ग्रेड–2 व सहायक ग्रेड–03 का एक–एक पद स्वीकृत किया गया था जो आज भी जीवित है ।

विभागीय दायित्व

1. कार्यक्रम की प्रगति का संकलन, अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
2. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी बीस सूत्रीय समितियों का गठन
3. केन्द्र शासन के बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रसारित निर्देशों पर अनुवर्तन कार्यवाही ।
4. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा ।
5. विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही ।

प्रभावी अधिनियम एवं नियम

1. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1980
2. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) बीस सूत्रीय कार्यक्रम अधिनियम, 1997
3. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1991
4. छत्तीसगढ़(लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अन्त्योदय कार्यक्रम का क्रियान्वयन नियम, 1997

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रबोधन एवं अनुश्रवण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र शासन से प्राप्त दिशा–निर्देशों के सापेक्ष्य में कार्यवाही करते हुए कार्यक्रम प्रगति/उपलब्धियों का राज्य प्रतिवेदन केन्द्र शासन को संप्रेषित किया जाता है। कतिपय विषयों पर न्यूनतम उपलब्धियों पर विभागीय टीप प्राप्त कर शासन को अवगत कराया जाता है । कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देश दिया जाता है ।

2. पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित दायित्व

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषयगत प्रगति व उपलब्धियों की समीक्षा का दायित्व क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं – (राज्य, जिला व जनपद पंचायतों) को प्रत्यायोजित किया गया है। कार्यक्रम की देख–रेख का दायित्व भी इन संस्थाओं को सौपा गया है।

भाग–दो

कार्यक्रम के अंतर्गत बजट प्रावधान एवं व्यय

कार्यक्रम अंतर्गत जिला/ जनपद पंचायत स्तर पर स्वीकृत पदों पर होने वाले व्यय को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014–15 में 23008.00 हजार रूपये का आबंटन उपलब्ध कराया गया है जिसके सापेक्ष में जनवरी, 2015 तक 41.39 प्रतिशत राशि व्यय हुआ है ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत समीक्षा की विषयगत सूची :–

1. बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र/राज्य शासन द्वारा संचालित 20 कार्यकलापों को समाहित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है

1. रोजगार सृजन–महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ।
   (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(एसजीएसवाई) ।
   (ख) एसजीएयवाई के अंतर्गत अ.जा. अ.जा. महिलाओं एवं विकलांग स्वरोजगारियों को सहायता
2. (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गठित स्व सहायता ग्रुप।
   (ख) स्व सहायता ग्रुप जिन्हों आय का सृजन करने वाली गतिविधियां प्रदान की गई है
3. (क) भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण,
   (ख) अ.जा.,अ.ज.जा एवं अन्य वितरित की गई बंजर भूमि
4. (क) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)
   (i) किया गया निरीक्षण (ii) पाई गई अनियमितताएं (iii) सुधारी गई अनियमितताएं
   (ख) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)
   (i) किए गए दावे (ii) निपटाए गए दावे
   (ग) न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म लेबर सहित)
   (i) लंबित अभियोजन केस (ii) दायर किए गए अभियोजन केस (iii) निर्णीत अभियोजन केस
5. (क) खाद्य सुरक्षा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) एएवाई, एपीएल और बीपीएल के लिए
   (ख) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल अन्त्योदय अन्न योजना(एएवाई)
   (ग) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल)
   (घ) खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस केवल गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)
6. ग्रामीण आवास –इंदिरा आवास योजना
7. शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास,
8. (क) ग्रामीण क्षेत्र–एआरडब्ल्यूएसपी शामिल बसावटें (एनसी/पीसी)
   (ख) छूटी हुई बसावटों तथा जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली बसावटों में कार्यो की शुरूआत
9 ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम,
10. संस्थानिक प्रसव,
11. सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
12. आईसीडीएस योजना का वैश्वीकरण (संचयी)
13. क्रियाशील आंगनबाड़िया (संचयी)

14. सात सूत्री चार्टर के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या
15. (क) वनरोपण- रोपणाधीन शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
    (ख) वनरोपण - रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)
16. ग्रामीण सड़कें - पीएमजीएसवाई के अधीन निर्मित सड़के
17. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अतंर्गत गांव को बिजली प्रदान की गई ।
18. म्पसेटों को बिजली
19. विद्युत आपूर्ति

भाग-तीन एवं भाग-चार निरंक

भाग-पांच

अभिनव योजनाएँ-निरंक

भाग-छः

प्रकाशन

राज्य शासन द्वारा समेकित प्रतिवेदन के आधार पर समसामयिक समीक्षा की जाती है, तदनुरूप केन्द्र शासन द्वारा भी राज्य के परिपेक्ष्य में समीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को प्रेषित किया जाता है । राज्य शासन अथवा संचालनालय द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रकाशन जारी नहीं किया जाता है ।

वार्षिक लक्ष्य 2014-15

केन्द्र शासन द्वारा राज्य के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि माह अक्टूबर, 2014 की स्थिति में निम्नानुसार है :-

योजना/कार्यक्रम विवरण	भौतिक इकाई	वार्षिक भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. Rural Housing-Indira AwaasYojana	Number	42889	20180	47.05
06A01 Houses constructed				
2. Rural Areas: National Rural Drinking Water Programme (NRDWP)	Number	8200	4022	49.04
07A03 Habitations covered (Partially covered & slippedback)				
07A04 Coverage of water quality affected	Number	2700	763	28.25
3. Universalization of ICDS Scheme	Number	343	220	64.13
12A01 ICDS Blocks Operational (Cumulative)				
4. Functional Anganwadis	Number	55372	49889	90.09
12B01 Anganwadis Functional (Cumulative)				
5. Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana	Number	1248	120	9.61
18B01 Villages electrified				
6. Energising pump sets	Number	21000	9103	43.34
18D01 Pumps sets energized				

भाग-सात सारांश -निरंक